वार्षिक रिपोर्ट

1982-83

विषय सूची :

	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड	3
अध्यक्षीय भाषण	4
निदेशकों की रिपोर्ट	6
लेखे	52
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	84
भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	88

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक		श्री बी० एस० कोचर (11-07-83 अपराह्न तक) पीरज़ादा गुलाम नबी (11-07-83 अपराह्न से)
निदेशकगण		श्री वी० सुब्रामनियन निदेशक (वित्त) श्री ए० एन० सिंह श्री डी० राजगोपालन (7-06-83 अपराह्न तक) श्री प्रीतम सिंह (17-11-82 तक) श्रीमती सरला गोपालन श्री पी० के० आचार्य (18-11-82 से 29-05-83 तक) श्री सी० एस० हुकमानी (30-05-83 से) श्री सतीश खुराना (8-08-83 से)
सचिव		श्री एन० वी० रामन
लेखा परीक्षक		
सांविधिक लेखा परीक्षक		मैसर्स एस० एल० खिन्दारिया एण्ड कं० एस-215, पंचशील पार्क, नई दिल्ली।
शाखा लेखा परीक्षक	(i)	मैसर्स ए० पी० एस० एसोसिएट्स 3/2, मदान स्ट्रीट (प्रथम मंजिल), कलकत्ता-700072
	(ii)	मैसर्स के० बी० चान्दना एण्ड कं०, ई-27, एन०डी०एस०ई० ।।, नई दिल्ली-110049.
बैंकर्स		स्टेट बैंक आफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय		"हेमकुन्ट टावर", 98-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय मित्रो,

मुझे नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० की सातवीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1982-83 से संबंधित कारपोरेशन के लेखा परीक्षित लेखे तथा निदेशक वर्ग तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपके विचारार्थ और स्वीकारार्थ प्रस्तुत है।

कारपोरेशन ने विगत समय में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 180 मे. वा. की बैरा स्यूल परियोजना ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन के पहले ही वर्ष में लक्ष्य से 11% तक अधिक का विद्युत उत्पादन किया है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली से उत्तरी ग्रिड में, विशेषतया दिल्ली में, बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

मणिपुर में 105 मे. वा. की लोकतक परियोजना मई, 1983 में चालू की गई। दुर्भाग्यवश, अभूतपूर्व वर्षा से एक भारी भूस्खलन होने के फलस्वरूप जुलाई, 1983 के अन्त में परियोजना की सुरंग का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है और इस परियोजना के शीघ्र पुनः आरम्भ होने की आशा है।

नेपाल में 14.1 मे. वा. की देवीघाट परियोजना की पहली यूनिट, कार्यक्रम से लगभग 1½ वर्ष पहले, जुलाई, 1983 में चालू की गई। परियोजना की दूसरी और तीसरी यूनिटों को इस वर्ष के अन्त से पहले चालू करने का कार्यक्रम है।

जम्मू व कश्मीर में 390 मे. वा. की दुलहस्ती परियोजना का शिलान्यास माननीया प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 अप्रैल, 1983 को किया। इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

जैसाकि आप लोगों को मालूम ही है, बिहार में 710 मे. वा. की कोयल कारो परियोजना का कार्य, स्थानीय लोगों द्वारा बाधाएं खड़ी कर देने के कारण रुका हुआ था। आपको जानकर हर्ष होगा कि स्थानीय नेताओं से समझौते के बाद 2 सितम्बर, 1983 से ये बाधाएं हटा ली गई हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय और बिहार सरकार के निरन्तर प्रयासों के कारण ही यह सफलता प्राप्त हो सकी। मैंने 2 और 3 सितम्बर, 1983 को बिजली घर तथा लोहाजिमी व बसिया में बांध स्थल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मिला। आपको यह सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि परियोजना को आरम्भ करने में स्थानीय लोगों का विरोध बहुत हद तक समाप्त हो गया है। यह सब इसलिए हो सका कि परियोजना के निर्माण द्वारा विस्थापित होने वाले लोगों को फिर से बसाने और उनका उत्थान करने संबंधी प्रस्तावित उपायों में गहरी हमदर्दी और मानवीयता से परिपूर्ण उद्देश्यों के बारे में उन्हें भली-भांति सूचित किया गया। आपका कारपोरेशन परियोजना के कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

जम्मू व कश्मीर में 345 मे. वा. की सलाल परियोजना का कार्य निरन्तर समीक्षाधीन है और सम्पीड़ित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना की पहली यूनिट दिसम्बर, 1985 तक चालू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में टनकपुर परियोजना और हिमाचल

प्रदेश में चमेरा परियोजना के भारत सरकार द्वारा मंजूर हो जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी तैयार है।

चुखा पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और आशा है यह लाइन मार्च, 1985 तक चालू हो जाएगी।

देवीघाट परियोजना से बिजली ले जाने के लिए 35 कि. मी. लम्बी दोहरी सर्किट पारेषण लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया ताकि वह परियोजना की पहली यूनिट के चालू होने के साथ मेल खाए।

कारपोरेशन ने मिज़ोरम में धालेस्वरी परियोजना का अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया है। सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा परियोजना का अन्वेषण कार्य चल रहा है। कारपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सौंपी गई कोंकण परियोजनाओं के संभाव्यता अध्ययनों को भी पूरा कर लिया है।

अन्त में मैं संक्षेप में उन चुनौतियों को बताना चाहूंगा जिनसे कारपोरेशन का सामना होने वाला है। हाल ही में देश में उपलब्ध विस्तृत जल-विद्युत सम्भावनाओं के दोहन के लाभों पर कुछ लाभदायक चर्चाएं हुई हैं। आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो इस समय तैयार हो रही है, में देश के जल-विद्युत सैक्टर के विकास पर अधिक बल दिया जायेगा। इस प्रकार जल-विद्युत संभावनाओं को काम में लाने में आपके कारपोरेशन की एक प्रबल भूमिका होगी। मैं निदेशक मण्डल की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ कि आपका कारपोरेशन इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह लैस है।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय और सचिव (विद्युत) का आभारी हूँ कि हमें समय-समय पर उनसे अमूल्य मार्गदर्शन मिला। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों का उनके सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबको कारपोरेशन के कार्यकलापों में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनकी समर्पण की भावना से महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है।

(पीरज़ादा गुलाम नबी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 30 सितम्बर, 1983

शेयरधारियों को सम्बोधित निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय हिस्सेदारो,

निदेशक मण्डल की ओर से निगम के कार्य-कलापों की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसमें 31 मार्च, 1983 को समाप्त वर्ष की लेखा विवरणी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है।

2. वित्त संबंधी प्रमुख बातें :

(क) आपके निगम ने पहली अप्रैल, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया। वर्ष के दौरान बैरा स्यूल परियोजना में बिजली की 820.97 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जिसमें से 2436.26 लाख रु० की 753.84 मिलियन यूनिटों की बिक्री हुई।

इस वर्ष के लिए संचालन यूनिट की वित्त संबंधी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं : —

(रु० लाखों में)

1. मूल्यह्रास तथा ब्याज के प्रावधान से पहले सकल लाभ		1908.26
घटायें :		
(i) मूल्यह्रास	422.25	
(ii) सरकारी ऋणों पर ब्याज	717.83	1140.08
इस वर्ष के लिए शुद्ध लाभ		768.18
2. निवेश भत्ता रिज़र्व		2344.74
3. तुलन-पत्र में ले जाई गई हानि		1576.56

इस वर्ष के दौरान सरकारी कोष में अंशदान सरकारी ऋणों पर अदा किए गए ब्याज सहित 979.57 लाख रु० है।

वर्ष के दौरान उत्पादित शुद्ध आन्तरिक संसाधन 1190.43 लाख रु० के हैं।

(ख) **हिस्सा पूंजी :**

निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूँजी 400 करोड़ रु० की ही रही। निर्गमित, अंशदायी और प्रदत्त पूंजी वर्ष के दौरान 102.8213 करोड़ रु० से बढ़ कर 129.8213 करोड़ रु० हो गई। प्रदत्त पूंजी में बढ़ोत्तरी एक-एक हजार रु० के 270000 इक्विटी शेयर जारी करने के कारण हुई। सभी शेयरों में अंशदान पूर्णतः भारत सरकार ने किया।

18.5796 करोड़ रुपए की राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त नकद 1.2891 करोड़ रुपए और ऋणों के पुनः-तालिकाकरण के खाते में इक्विटी में बदले गए 17.2905 करोड़ रुपए शामिल हैं, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1983 को हिस्सों का आबंटन होने तक, हिस्सा रकम जमा के अन्तर्गत रखी गई है।

(ग) **ऋण :**

कारपोरेशन ने भारत सरकार से कुल 19.6527 करोड़ रुपए के नए ऋण लिए हैं। ऋणों के मुख्यतः पुनःतालिकाकरण के कारण ऋणों की कुल राशि 151.3401 करोड़ रुपए से घट कर 149.8786 करोड़ रुपए हो गई।

3. कारपोरेट संचालन :

आलोच्य वर्ष के दौरान कारपोरेशन के संचालन के ब्यौरे आगे के पैराग्राफों में उल्लिखित हैं।

4. बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना (हि.प्र.) :

आलोच्य वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी—भालेध फीडर सुरंग का नवम्बर, 1982 में पूरी होना, जिससे परियोजना की उत्पादन क्षमता पूर्णता को प्राप्त हो गई।

जैसा कि आपको पिछली वार्षिक आम बैठक में सूचित किया गया था, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक

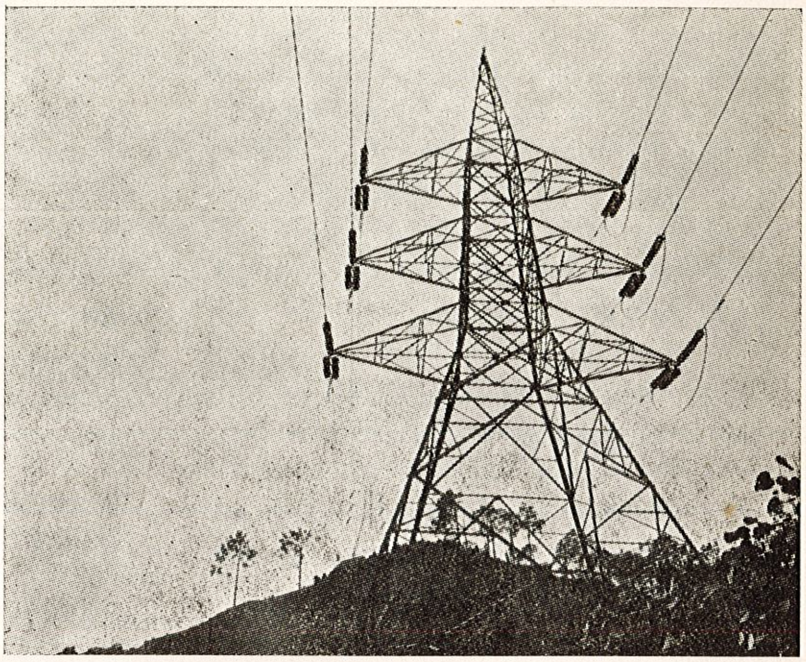

बैरा स्यूल परियोजना से बिजली, 220 कि० वोल्ट की 96 कि० मी० लम्बी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ले जा कर उत्तरी ग्रिड में डाली जा रही है ।

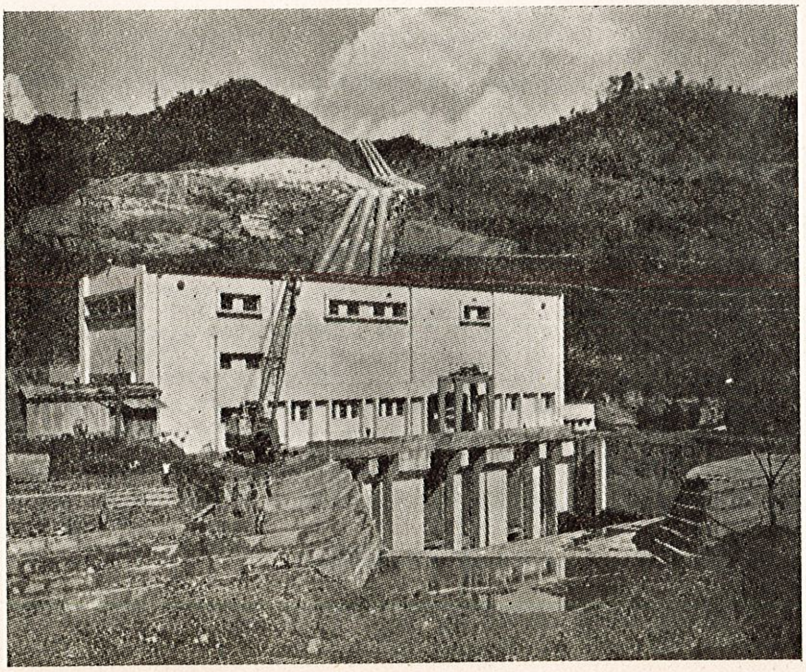

बिजली घर का बाहरी दृश्य-
लोकतक परियोजना (मणिपुर)

1.4.1982 से शुरू हो गया। आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजना में 8209.67 लाख यूनिट यानी लक्ष्य से 11.7 प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादन हुआ। इस प्रकार परियोजना ने चालू होने के पहले वर्ष 79.9% लक्ष्य की तुलना में 89.23% की उपयोगी क्षमता प्राप्त कर ली। हमारी कारपोरेशन द्वारा समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों की वजह से विद्युत उत्पादन में यह बढ़ोत्तरी हुई है। इन उपायों में ये बातें शामिल हैं। पानी को बेकार न जाने देने और अधिकतम विद्युतोत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु पानी के अनुमानित भीतर की ओर बहाव पर आधारित अधिकतम विद्युतोत्पादन कार्यक्रम तैयार करना, तथा संचालन तथा रख रखाव कर्मी दल का प्रशिक्षण आदि। वर्ष के दौरान बैरा बांध की दायीं पहाड़ी ढलान के सुरक्षा कार्य चल रहे थे और मार्च, 1984 तक इनके पूरा हो जाने की आशा है।

5. लोकतक जल-विद्युत परियोजना :

वाल्व हाउस, औसतन 1346 मी. लम्बे पेनस्टाक पाइपों की 3 लाइनों का उत्पादन, 35-35 मे.वा. की तीन यूनिटों वाला बिजली घर, टेल रेस चैनल तथा स्विचयार्ड पूरे किए गए। पेनस्टाकों का उत्पादन पूरा होने के पश्चात् वर्ष के दौरान 54390 मी.^{2} क्षेत्र में पेंट करने का कार्य भी पूरा किया गया। टेलिस्कापीय तथा परम्परागत शटरों और जर्मन कंक्रीट पम्पों के प्रयोग द्वारा सुरंग को 2240 मी. की कंक्रीट लाइनिंग को पूरा करना आलोच्य वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सुरंग की 3355 मी. की कान्टैक्ट ग्राउटिंग इस वर्ष के दौरान पूरी की गई।

लगातार मानीटरिंग से पुष्ट सघन और निरन्तर प्रयासों के कारण दो यूनिटों को अप्रैल, 1983 में और तीसरी यूनिट मई, 1983 में चलाई जा सकी। यूनिटों का समकालीकरण मई, 1983 में हुआ तथा परियोजना ने दिनांक 1 जून, 1983 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

जुलाई, 1983 के अन्त में भारी वर्षा के कारण निम्न कवर सुरंग पहुंच में भारी भूस्खलन हुआ जिससे सुरंग का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए मरम्मत के लिए सुरंग को पानी रहित किया गया। आपकी कारपोरेशन द्वारा आवश्यक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं।

6. सलाल जल-विद्युत परियोजना :

आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी आई और परियोजना की पहली यूनिट को दिसम्बर, 1985 तक चालू करने की दृष्टि से सम्पीड़ित कार्यक्रम पर डटे रहने के प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना में विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति नीचे दी जा रही है :—

(i) कंक्रीट बांध :

कंक्रीट बांध के लिए नींव की खुदाई अधिकांशतः पूरी हो गई है। कार्य की 39% मात्रा प्रदर्शित करने वाली कुल 1350 टी.एम.^{3} की मात्रा में से 527 टी.एम.^{3} मात्रा की कंक्रीटिंग पूरी हो गई है। बांध जून, 1985 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ii) रॉकफिल बांध :

रॉकफिल बांध का निर्माण कार्य विभागीय तौर पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण के लिए नदी सतह की खुदाई पूरी हो गई है और भराई का कार्य चल रहा है। कार्य की 36% मात्रा को प्रदर्शित करने वाली कुल 7200 टी.एम.^{3} की मात्रा में से 2613 टी.एम.^{3} की भराई वर्ष के अन्त तक पूरी हो गई थी। बांध के मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(iii) टेल रेस सुरंग :

सुरंग की 2410 मी० की कुल लम्बाई में से 1474 मी. की खुदाई वर्ष के दौरान पूरी की गई। सुरंग लाइनिंग का

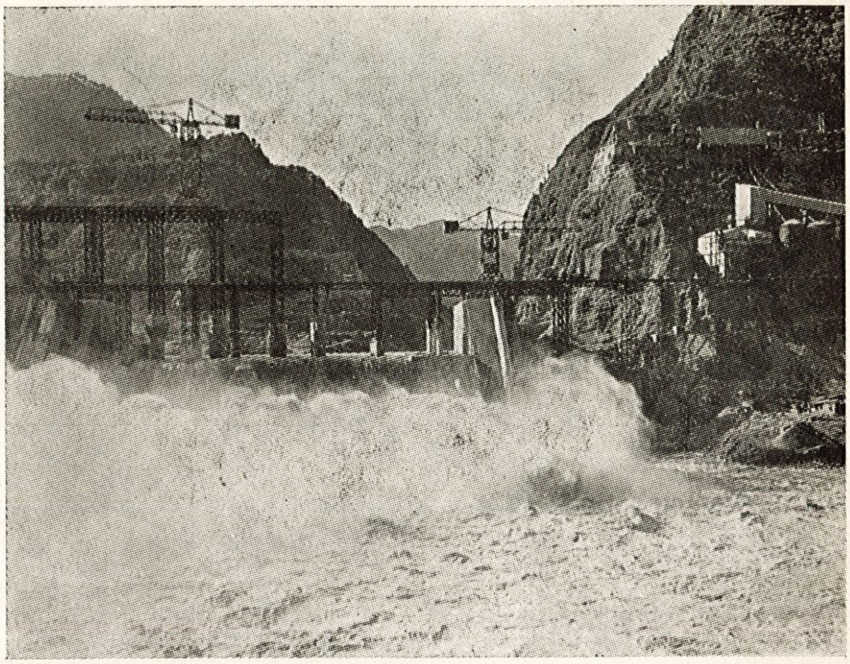

कंक्रीट डैम स्पिलवे—
सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

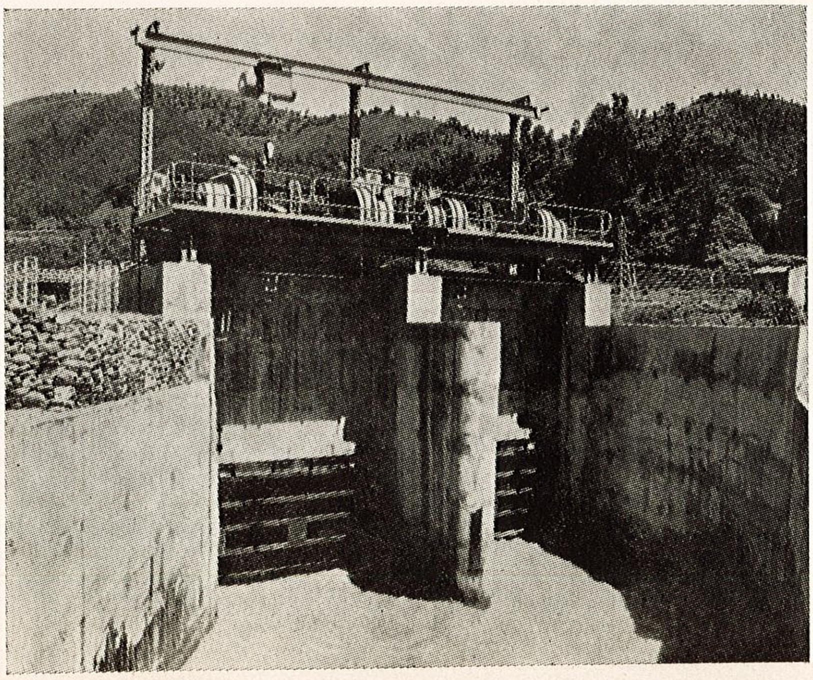

हैड रेगुलेटर का दृश्य—
देवीघाट परियोजना (नेपाल)

कार्य भी वर्ष के दौरान आरम्भ हो गया। खराब भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों, चट्टान खिसकने, विवर (कैविटि) निर्माण और अधिक जल रिसाव के कारण सुरंग खुदाई और सुरंग लाइनिंग कार्य-कलापों में उत्पन्न कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला कर कार्य दिसम्बर, 1984 तक पूरा होने की संभावना है।

(iv) बिजली घर :

बिजली घर, जो कि बिजली उत्पादन यूनिटों का केन्द्र होगा, का सुपर संरचनात्मक निर्माण कार्य अक्तूबर, 1982 में आरम्भ हो गया। निर्माण कार्य समय पर पूरा होने की सम्भावना है जिससे कि पहली यूनिट दिसम्बर, 1985 में चालू हो सके।

(v) पेनस्टॉक :

पेनस्टॉक की खुदाई और कंक्रीटिंग के सिविल निर्माण कार्य वर्ष के दौरान शुरू हो गए और प्रगति पर थे। पेनस्टॉक पाइपों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। पेनस्टॉक निर्माण कार्यों के हर तरह से दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(vi) प्लन्ज पूल :

प्लन्ज पूल का कार्य फरवरी, 1983 में आरम्भ हुआ था और संतोषजनक ढंग से चल रहा है। यह कार्य जून, 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(vii) ड्रेनेज गैलरी :

कंक्रीट बांध के नीचे ड्रेनेज गैलरी का कार्य भी वर्ष के दौरान आरम्भ किया गया। इस कार्य के नवम्बर, 1984 में पूरा हो जाने की संभावना है।

7. देवीघाट जल-विद्युत परियोजना :

देवीघाट परियोजना में विभिन्न निर्माण कार्य जिसमें हेड रेगुलेटर, कट एण्ड कवर कन्डयूटों वाली 4.5 कि.मी. लम्बी जल संवाहक प्रणाली, पावर चेनल, क्रॉस ड्रेनेज कार्य और सुरंगें, फोरबे, पेनस्टॉक, बिजली घर आदि आते हैं, वर्ष के अन्त में पूरा होने के अन्तिम चरण में थे। पहली यूनिट का मैकेनिकल रन 29.6.1983 को और परीक्षण तथा परिचालन जुलाई, 1983 में पूरा हुआ, जो कि निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 1½ वर्ष पहले है।

वर्ष के अन्त तक परियोजना के विभिन्न घटकों के निर्माण कार्यों की प्रगति नीचे दिए अनुसार थी :—

I. सिविल निर्माण कार्य :

(i) डाइवर्शन वीयर :

डाइवर्शन वीयर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। 2 या 3 छिद्रों को छोड़, वीयर की ग्राउटिंग भी पूरी हो गई है।

(ii) हैड रेगुलेटर और पहुंच मार्ग चैनल :

खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और 1303 मी³ की कुल मात्रा में से 1226 मी³ की कंक्रीटिंग कर ली गई है।

(iii) कट एण्ड कवर कन्ड्यूट :

(क) पहुंच-I :

खुदाई पूरी कर ली गई है और 70 मी. कन्ड्यूट की लम्बाई में कंक्रीटिंग हो गयी है, शेष में इस वर्ष के अन्त तक कंक्रीटिंग की जानी है।

(ख) पहुंच-II

खुदाई पूरी कर ली गई है और 2255 मी³ की कुल कंक्रीटिंग में से 2062 मी³ की कंक्रीटिंग कर ली गई।

(ग) पहुंच-III :

कुल खुदाई कार्य में 2600 मी³ से 3700 मी³ की वृद्धि हो गई थी। 3170 मी³ की खुदाई और 2150 मी³ में से 1616 मी³ की कंक्रीटिंग कर ली गई थी।

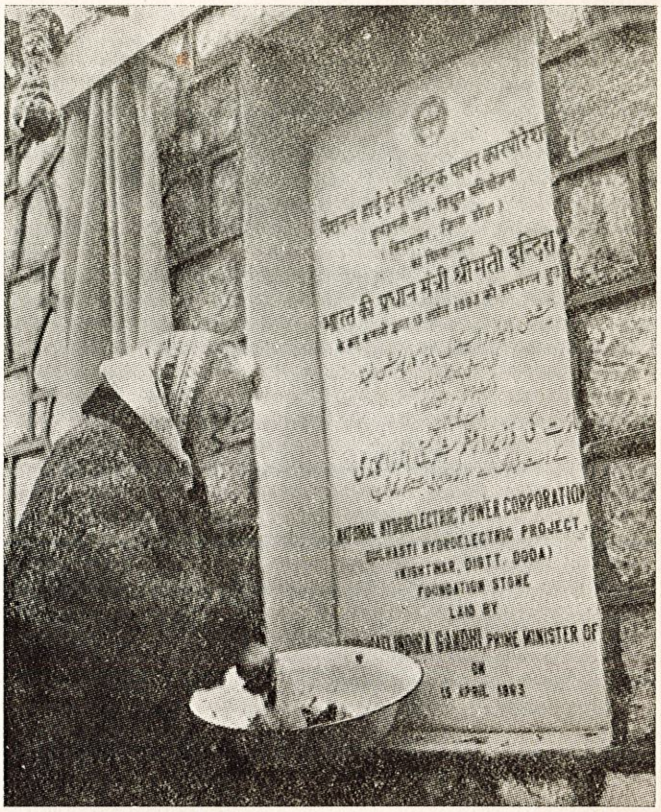

भारत की माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शिलान्यास —दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

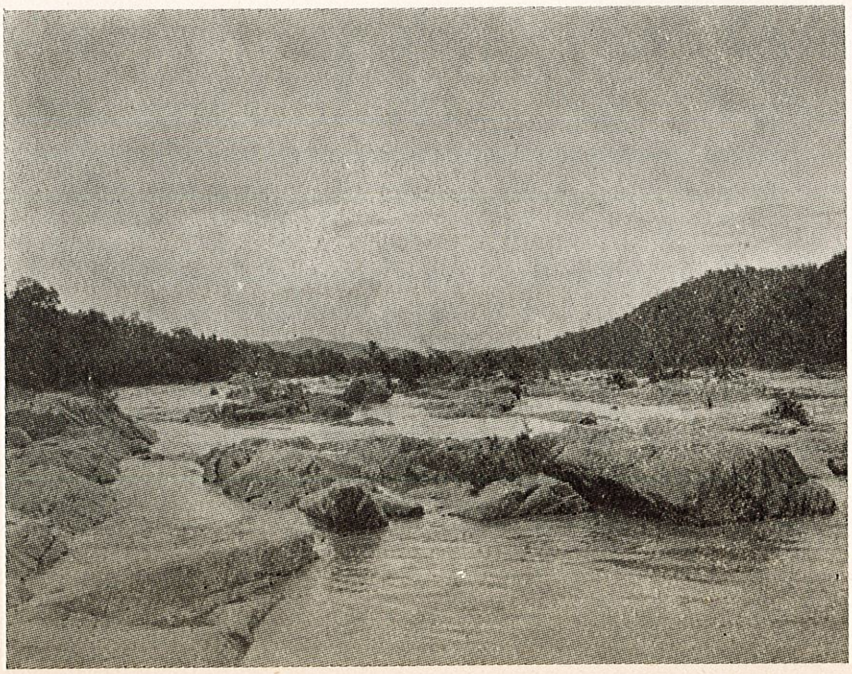

परियोजना स्थल का दृश्य —
कोयल कारो परियोजना (बिहार)

(iv) पावर चैनल :

पावर चैनल I की पहुंच III और पावर चैनल II की पहुंच II तथा III की खुदाई पूरी कर ली गई थी। पावर चैनल I तथा II की अन्य पहुंचों में कार्य प्रगति पर था।

(v) क्रॉस ड्रेनेज कार्य :

खारे खोला की खुदाई तथा कंक्रीटिंग और गौरी बेसी कोला की कंक्रीटिंग पूरी हो गई। नदी प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए अन्य क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की शेष खुदाई होनी थी और कंक्रीटिंग कार्य पूरे होने ही वाले थे।

(vi) सुरंगें :

दोनों सुरंगों की खुदाई और इनवर्ट कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई थी। सुरंग नं. II की ओवर्ट कंक्रीटिंग और ग्राउटिंग भी पूरी कर ली गई थी। सुरंग I की 12 मी. लम्बाई में ओवर्ट कंक्रीटिंग करनी शेष थी तथा सुरंग I की ग्राउटिंग अभी आरम्भ होनी थी।

(vii) पेनस्टॉक :

पेनस्टॉकों के लिए खुदाई पूरी की जा चुकी थी और करीबन 95% कंक्रीटिंग कार्य तथा 75% उत्थापन कार्य भी पूरा कर लिया गया था।

(viii) फोरबे :

खुदाई तथा कंक्रीटिंग कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फोरबे एम्बैंकमेंट में करीबन 85% भराई (फिल प्लेसमेंट) भी पूरी कर ली गई है। भराई (फिल प्लेसमेंट) कार्य अप्रैल, 1983 के अन्त तक पूरा होने की आशा थी।

(ix) बिजली घर (पावर हाउस) (सिविल निर्माण कार्य) और टेलरेस चैनल :

बिजली घर का खुदाई कार्य पूरा कर लिया गया था और केवल 7 मी³ की कंक्रीटिंग करनी शेष थी। करीब 95% टेलरेस चैनल की खुदाई भी कर ली गई थी।

II. विद्युत कार्य :

यूनिट I—रोटर और टॉप ब्रैकट लोअर कर लिए गए थे। ईएल-107.5 पर यूसीपी की संस्थापना हो गई थी।
यूनिट II—कॉयल स्टेटर की ब्रेजिंग पूरी कर ली गई थी। रोटर रिम पंचिग एसैम्बली पूरी कर ली गई थी।

स्विचयार्ड :

ट्रांसफार्मरों को छोड़ उत्थापन उपस्कर पूरे कर लिए गए थे तथा मुख्य नियंत्रण पैनल्स संस्थापित हो गए थे। स्विचयार्ड से नियंत्रण पैनल तक नियंत्रण केबल्स डालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया था।

8. बुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना :

परियोजना के निष्पादन के लिए 183.45 करोड़ रुपए (शुद्ध) और निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) के तौर पर 21.73 करोड़ रुपए सहित 188.43 करोड़ रुपए (सकल) की अनुमानित लागत पर पूंजी निवेश के खर्च की मंजूरी तथा प्रशासनिक अनुमोदन भारत सरकार द्वारा 10 नवम्बर, 1982 को जारी किया गया।

डिजाइन रूप रेखा सुदृढ़ करने के लिए पूर्व-निर्माण अन्वेषण और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग तथा ड्रिफ्टिंग कार्य शुरू किए गए। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कार्रवाई भी आरम्भ की गई।

9. कोयल कारो जल-विद्युत परियोजना :

हालांकि कोयल कारो परियोजना केन्द्रीय सैक्टर में निष्पादन के लिए एन.एच.पी.सी. को जून, 1981 में सौंपी गई थी तथापि परियोजना में आलोच्य वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति न हो सकी क्योंकि स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परियोजना प्राधिकारी परियोजना स्थल पर नहीं

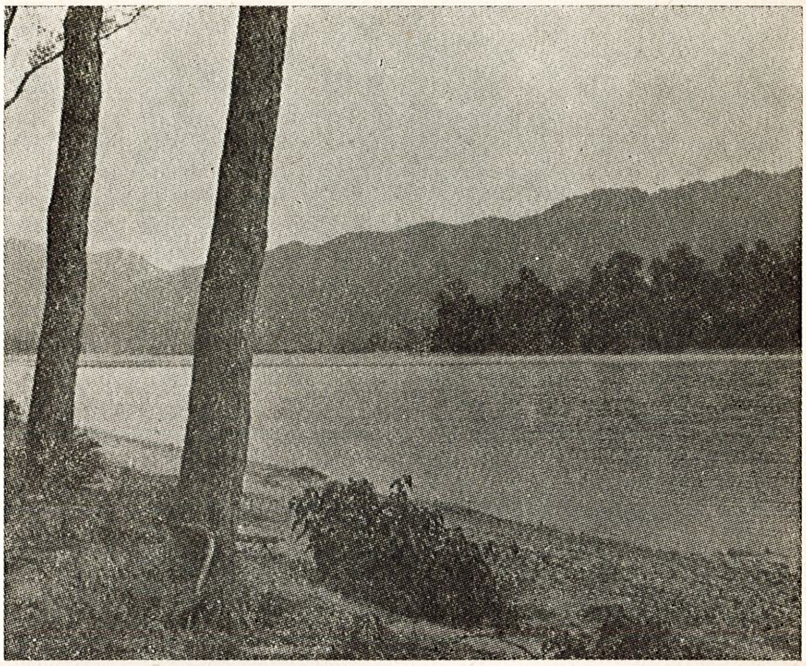

परियोजना स्थल का दृश्य—
टनकपुर परियोजना (उत्तर प्रदेश)

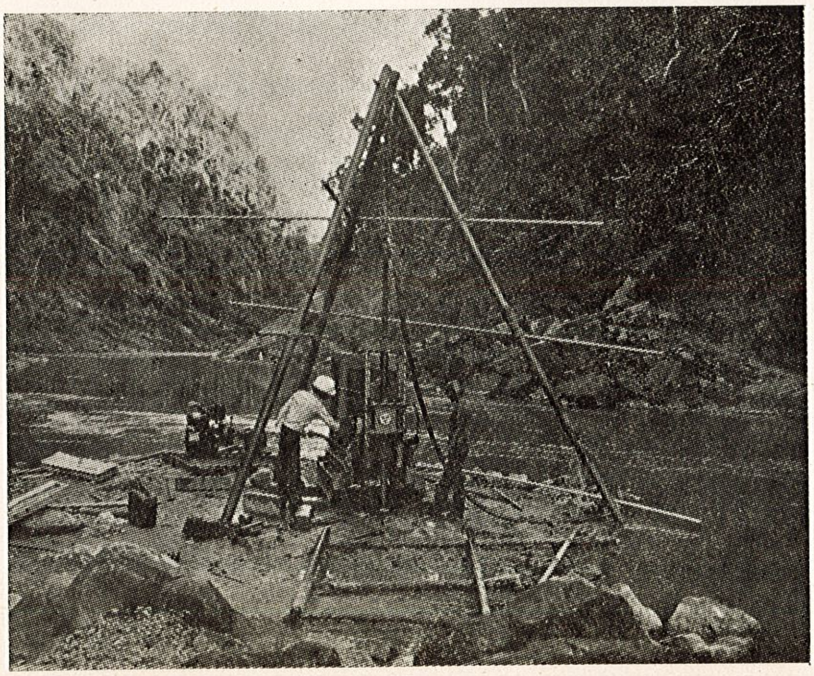

नदी तल में ड्रिलिंग कार्य की प्रगति—
धालेस्वरी परियोजना (मिज़ोरम)

पहुंच पाए और परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या भी वर्ष के दौरान बनी रही। भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार की सहायता तथा सहयोग से इन समस्याओं के समाधान के लिए कारपोरेशन प्रबल प्रयत्न करता रहा। भूमि के अधिग्रहण और परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर परियोजना का सक्रिय निर्माण तेजी से करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ बातचीत होती रही।

परियोजना के लिए आवासीय यूनिटों के निर्माण जैसे कुछ संरचनात्मक कार्य परियोजना को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 190 एकड़ की भूमि पर आरम्भ किए गए।

यह सूचना देते हुए आपके निदेशकों को खुशी हो रही है कि परियोजना स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा पैदा की गई बाधाएं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से सितम्बर, 1983 के पहले सप्ताह में दूर हो गई हैं। आशा है कि परियोजना में कार्य आने वाले महीनों में तेजी पकड़ेगा।

10. नई परियोजनाएं :

(1) टनकपुर जल-विद्युत परियोजना (उ.प्र.)

भारत सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लेते ही परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का कारपोरेशन का प्रस्ताव है। नवम्बर, 1982 में मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए लोक निवेश बोर्ड के लिए ज्ञापन पर सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना को पहले ही मंजूर कर लिया गया है। आपकी कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश की सारदा घाटी हाथ में ली जाने वाली यह पहली परियोजना होगी।

(2) नाथपा झाकरी जल-विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश)

परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी फरवरी, 1980 में दी गई थी। परियोजना के 256.81 करोड़ रुपए (शुद्ध) की संशोधित लागत (एन.एच.पी.सी. के हिस्से का 25%) के लिए ऊर्जा मंत्रालय को अप्रैल, 1982 में प्रस्तुत ड्राफ्ट लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) ज्ञापन, वर्ष के अन्त तक जांचाधीन था।

(3) रंगित जल-विद्युत परियोजना (सिक्किम) :

91.71 करोड़ रुपए (सकल), 88.38 करोड़ रुपए (शुद्ध) और 11.84 करोड़ रुपए निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) के लिए 7 जून, 1982 को प्रस्तुत लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के ज्ञापन पर सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(4) उड़ी जल-विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) :

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए परियोजना अनुमान अद्यतन (अपडेटेड) किए जा रहे थे।

यह कार्य बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है और उसके बाद परियोजना अनुमान लोक निवेश बोर्ड को मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

11. अन्वेषण कार्य परियोजनाएं :

(क) चमेरा जल-विद्युत परियोजना (हि.प्र.) :

परियोजना अनुमानों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी वर्ष के दौरान प्राप्त हो गई थी। परियोजना के निष्पादन के लिए लोक निवेश बोर्ड की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) **धालेस्वरी जल-विद्युत परियोजना (मिज़ोरम) :**

मिज़ोरम में धालेस्वरी जल-विद्युत परियोजना जो कि नवम्बर, 1981 में आप की कारपोरेशन को सौंपी गई थी, के अन्वेषण कार्य कारपोरेशन द्वारा जनवरी, 1982 में हाथ में लिए गए थे। अन्वेषण कार्य हाल ही में पूरे किए गए हैं। संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा संकलन कर लिया गया है।

(ग) **धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना (उ०प्र०) :**

धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना का अन्वेषण कार्य कारपोरेशन को जून, 1982 में सौंपा गया था। आशा है कि अन्वेषण कार्य जून, 1984 तक पूरे हो जाएंगे और धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना चरण-I की सम्भाव्यता रिपोर्ट मार्च, 1985 तक पूरी हो जायेगी।

(घ) **कोंकण जल-विद्युत परियोजनाएँ (महाराष्ट्र) :**

पांच कोंकण परियोजनाओं की पूर्व-सम्भाव्यता रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी। क्षेत्र की पांच परियोजनाओं में से काल और कुम्भ की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिपाजिट कार्य के तौर पर एक सत्र में अन्वेषित की गई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अन्वेषण करने तथा सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन और परियोजनाएँ आपके कारपोरेशन को सौंपने का प्रस्ताव किया है।

12. पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान निम्नलिखित पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था :—

(i) लीमातक से जिरीबाम 132 के.वी. पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन।

(ii) सलाल परियोजना के लिए जम्मू से सरना तक 220 के.वी. पारेषण लाइन।

(iii) सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर के लिए 400 के.वी. पारेषण लाइन।

(ख) **अन्य पारेषण लाइनों की प्रगति :**

अन्य चालू पारेषण लाइनों की प्रगति नीचे की सारणी में दी गई है :—

क्रम सं०	पारेषण लाइनों के ब्यौरे	पूरा होने की लक्ष्य तारीख	31-3-1983 तक पूरे किए गए कार्यों की प्रगति
1	2	3	4
1.	देवीघाट परियोजना से सम्बद्ध 66 के. वी. ट्रांसमिशन प्रणाली	देवीघाट जल विद्युत परियोजना के चालू होने के साथ मेल खाते हुए जून, 1983 (यह लाइन जुलाई, 1983 में पूरी हो गई थी)	156 लोकेशनों में से 150 लोकेशनों के नींव कार्य पूरे हो गए थे। स्विचयार्ड में अधिकांश उपस्कर संस्थापित कर लिए गए थे।

1	2	3	4
2.	चुखा जल-विद्युत परियोजना से सम्बद्ध 220 के. वी. ट्रांसमिशन प्रणाली (भारतीय हिस्सा)	मार्च, 1985	कुछ लाइन खण्डों पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था और अन्य लाइन खण्डों पर प्रगति पर था । स्टॅब सेटिंग कार्य शुरू हो गया था और कुछ लाइन सामग्री स्थल पर पहुंचनी शुरू हो गई थी । बीरपाड़ा, दालखोला और मालदा में सब-स्टेशनों के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है और आवासीय तथा गैर-आवासीय यूनिटों का निर्माण कार्य चालू था । पूर्णिया और सिलीगुड़ी में भूमि का कब्जा ले लिया गया था तथा बोंगइगांव में भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।
3.	सलाल जल-विद्युत परियोजना से सम्बद्ध सलाल-जम्मू और सलाल-ऊधमपुर 220 के. वी. पारेषण लाइनें	अप्रैल, 1985	आलोच्च वर्ष के दौरान कार्य-स्थल कार्यकलाप आरम्भ कर दिए गए थे ।

(ग) नए पारेषण कार्य :

जेपोर से तलचर तक 400 के. वी. सर्किट पारेषण लाइनों और उड़ीसा में सब-स्टेशनों से सम्बद्ध निर्माण कार्य :

उड़ीसा में सब-स्टेशनों से सम्बद्ध जेपोर-तलचर 400 के.वी. ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1982 में आपके कारपोरेशन को स्थानान्तरित किया गया है । कारपोरेशन ट्रांसमिशन लाइनों और इसके सब-स्टेशनों का निष्पादन करके अपने स्वामित्व में लेगा तथा संचालन करेगा ।

13. कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध :

(1) औद्योगिक संबंध :

आलोच्य वर्ष के दौरान कर्मचारी-नियोक्ता संबंध सामान्यत: सौहार्दपूर्ण बने रहे ।

(2) कार्मिक नीतियां :

कारपोरेशन की अपनी फिलास्फी और कल्चर बनाने की दृष्टि से कारपोरेशन की नीतियों और नियमावली के तैयार करने पर जोर बनाए रखा गया । जहां कुछ वर्तमान

नियमावली कारपोरेशन की आवश्यकतानुसार आशोधित की गई वहां वर्ष के दौरान कुछ नई नीतियां/योजनाएं भी अधिसूचित की गई।

(3) प्रबंध में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना :

प्रबंध में कर्मचारियों की हिस्सेदारी की एक द्वि-स्तरीय (टू टीयर) योजना कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई।

14. प्रशिक्षण और विकास :

नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रवेश (इन्डक्शन तथा प्रवर्तन ओरिएन्टेशन) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान विभिन्न डिसिप्लिनों के 80 अधिकारियों के दो दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में कारपोरेट कार्यों का अध्ययन, प्रारम्भिक प्रबंधवर्गीय संकल्पनाएं (कन्सैपट्स), हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर डिवल्पमेंट से सम्बद्ध तकनीकी पहलू और देश में चुनिन्दा जल-विद्युत परियोजनाओं के दौरे भी शामिल हैं।

यू. एन. डी. पी., कोलम्बो योजना आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 1982-83 के दौरान 6 अधिकारी विदेश भेजे गए।

कारपोरेशन आधुनिक प्रबंध, तकनीकी संकल्पनाओं तथा हाइड्रोइलैट्रिक पावर विकास के क्षेत्र में नवीनतम नवाचार की जानकारी देने के लिए सभी स्तर के अपने कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता रहा। वर्ष 1982-83 के दौरान विचार गोष्ठियों, परिसंवाद, सम्मेलनों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अल्प आवधिक पुनश्चर्या (रिफ्रैशर) पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए 83 कर्मचारियों को भेजा गया।

इलैक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के क्षेत्र में मजदूरों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए मालदा में स्थापित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण आरम्भ हो गया है जिसमें 50 लाइनमेन प्रशिक्षणार्थियों का पहला दल प्रशिक्षण ले रहा है। इसी तरह का एक प्रशिक्षण स्कूल सलाल जल-विद्युत परियोजना में मैकेनिकल व्यवसायों से सम्बद्ध मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

15. सतर्कता क्रियाकलाप :

(1) कारपोरेशन सतर्कता क्रियाकलापों को उचित महत्व देता है।

आलोच्य अवधि के दौरान, कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के मामलों में की गई जांच-पड़ताल के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाईयां की गईं और समुचित दण्ड दिए गए।

(2) कारपोरेशन, अपने सतर्कता एकक द्वारा आवधिक तथा आकस्मिक निरीक्षणों को भी पर्याप्त महत्व देता है।

16. हिन्दी का प्रयोग :

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप, कारपोरेशन में वर्ष के दौरान हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कदम उठाए गए। इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कारपोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हुई।

कार्मिक मैनुअल का हिन्दी संस्करण मुद्रणाधीन है। 'सेफ़्टि मैनुअल' का हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है। प्रयोग में आने वाले अन्य मैनुअलों का भी हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है। प्रयोग में आने वाले लगभग 35 फार्मों को द्विभाषी रूप में छापा गया है। कारपोरेशन की गृह पत्रिका "एन० एच० पी० सी० समाचार" में हिन्दी अनुभाग भी होता है जो कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय है। कारपोरेशन में कार्यरत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लाभ के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है।

कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं में कार्यशालाएं आयोजित की गई ।

17. अन्य वित्तीय पहलू :

(क) आतिथ्य सत्कार :

वर्ष के दौरान अपनी परियोजनाओं पर 1.24 लाख रुपये और 0.82 लाख रुपए डिपोजिट कार्यों तथा एजेंसी आधार की परियोजनाओं में आतिथ्य सत्कार पर खर्च हुआ है ।

(ख) विज्ञापन और प्रचार :

विज्ञापन और प्रचार पर 21.26 लाख रुपए की कुल राशि नीचे दिए अनुसार खर्च हुई :—

	(रुपये लाखों में)
(i) प्रभार और प्रसार पर	9.11
(ii) दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन	शून्य
(iii) अन्य माध्यमों द्वारा विज्ञापन	12.15

(ग) अतिथि गृह :

अतिथि गृहों / फील्ड होस्टलों के रख-रखाव का खर्च 11.35 लाख रुपए है ।

(घ) कारपोरेट कार्यालय का किराया, रखरखाव और अन्य विविध खर्च :

वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय में रख-रखाव, फर्नीचर और फिक्सचर आदि पर निम्न प्रकार खर्च हुआ :

	(रु० लाखों में)
(i) कार्यालय भवन का किराया	42.53
(ii) फर्नीचर-पूंजी लागत	16.31
(iii) कार्यालय उपस्कर-पूंजी लागत	4.13
(iv) संचार उपस्कर (पूंजी लागत)	0.23
(v) उपर्युक्त (i से iv) की मदों की रख-रखाव लागत	5.93

(vi) बिजली और पानी प्रभारें 1.93

(vii) अन्य खर्च, जिसमें छपाई और लेखन सामग्री, डाक खर्च, तार, टेलीफोन, टेलेक्स आदि शामिल हैं। 34.53

(ङ) विदेशी दौरे :

1982-83 के दौरान कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(च) सामाजिक सुविधाओं पर खर्च :

नगर क्षेत्र के रख-रखाव, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च निम्न प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

	टाउनशिप	शिक्षा	स्वास्थ्य सुविधाएँ
(i) बैरा स्यूल	45.28	4.64	7.95
(ii) लोकतक	19.36	0.72	6.83
(iii) कारपोरेट कार्यालय	—	—	7.35
(iv) कोयल कारो	1.84	0.02	0.19
(v) चुखा टी. सी. यूनिट	—	—	0.25
(vi) दुलहस्ती	—	—	0.17

18. लेखा परीक्षक :

मैसर्स एस. एल. खिन्दारिया एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को सांविधक लेखा परीक्षक के तौर पर तथा मैसर्स के. बी. चान्दना एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली और मैसर्स ए. पी. एस. एसोसिएट्स, कलकत्ता को वर्ष 1982-83 के खातों की लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया।

19. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर विचार :

लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर निदेशकों के विचार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

20. कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार सूचना अनुलग्नक-III में दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है ।

21. निदेशकगण :

वर्ष के दौरान, श्री प्रीतम सिंह ने कारपोरेशन के निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया । श्री प्रीतम सिंह दिनांक 18.11.1982 से निदेशक नहीं रहे। श्री पी० के० आचार्य, जो उस समय केन्द्रीय जल आयोग में सदस्य (डी एण्ड आर) थे, को दिनांक 18.11.1982 से निदेशक मण्डल में अंशकालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। श्री पी० के० आचार्य दिनांक 30.5.1983 से निदेशक नहीं रहे । श्री डी. राजगोपालन ने बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और दिनांक 7.6.1983 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे । श्री बी. एस. कोचर ने दिनांक 11.7.1983 (अपराह्न) से कारपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया। निदेशक मण्डल श्री बी० एस० कोचर, श्री प्रीतम सिंह, श्री पी० के० आचार्य तथा श्री डी० राजगोपालन द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करता है।

पीरज़ादा गुलाम नबी ने कारपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार दिनांक 11.7.83 (अपराह्न) से ग्रहण किया। श्री सी० एस० हुकमानी, संयुक्त सचिव, सिंचाई मंत्रालय तथा श्री सतीश खुराना, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहाकार, विद्युत विभाग, को क्रमश: दिनांक 30 मई, 1983 तथा 8 अगस्त, 1983 से आपकी कारपोरेशन के अंशकालिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

22. आभार :

निदेशक मण्डल, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषत: ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, विदेश मंत्रालय, नेपाल में भारतीय ऐम्बैसी, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सी० एस० एम० आर० एस०, सर्वे आफ इण्डिया तथा जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, महामहीम नेपाल तथा भूटान सरकार का उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद करता है। मणिपुर राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मिज़ोरम और अन्य राज्य सरकारों, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्डों, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में हमारे कार्यों में जो सहयोग दिया उनके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं । इन तथा अन्य एजेंसियों ने सहायता और सहयोग न दिया होता तो कारपोरेशन ने अब तक जो उपलब्धि पाई है वह उसके लिए सम्भव न होती ।

निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिए आभारी है ।

निदेशक मण्डल, इस अवसर पर, कारपोरेशन के सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठा और परिश्रमपूर्ण कार्य की भी प्रशंसा करता है और उसे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं कि वे आने वाले वर्षों में इससे भी अधिक उत्तम ढंग से अपने कर्तव्य को निभाएंगे ।

निदेशक मण्डल के लिए और की ओर से

नई दिल्ली
दिनांक : 28 सितम्बर, 1983

पीरज़ादा गुलाम नबी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-I

1982-83 के दौरान विदेशी दौरों का विवरण
(कारपोरेशन के खर्चे पर)

क्रम सं०	नाम और पदनाम	देश/स्थान का नाम जहां गए	दौरे का उद्देश्य	दौरे की अवधि	कुल खर्च (रुपए)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री बी० एस० कोचर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कनाडा/फ्रांस	भारतीय जल-विद्युत मिशन के एक सदस्य के तौर पर।	9.9.82 से 30.9.82	4,015.80
2.	श्री बी० एस० कोचर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्रीलंका (कोलम्बो)	श्रीलंका में मदुरू ओया परियोजना का दौरा।	31.1.83 से 6.2.83	10,396.90
3.	श्री ए० एस० चतरथ महा प्रबंधक (सिविल)	सिंगापुर/थाइलैण्ड (बैंकांक)	डायफ्राम वालिंग तकनीक पर सम्मेलन में उपस्थित होना और अध्ययन दौरा	1.6.82 से 4.6.82	17,563.90
4.	श्री वी० के० शर्मा महा प्रबंधक (विद्युत)	फ्रांस (पैरिस)	सी०आई०जी०आर०ई०के 1982के वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए।	4.9.82 से 13.9.82	27,823.65
5.	श्री पी० एन० खर, मुख्य इंजीनियर (परियोजना अन्वेषण)	स्वीडन (स्टाकहोम) और फ्रांस (पैरिस)	धौलीगंगा परियोजना के अन्वेषण के लिए मैसर्स स्वीडपावर से कार्यक्षेत्र और वित्तीय व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श के लिए स्टाकहोम का दौरा तथा टनलिंग उपस्कर की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के संबंध में पैरिस का दौरा।	23.1.83 से 3.2.83	32,034.40
6.	कुमारी ई० डेवटिया वरिष्ठ प्रबंधक (डिजाइन)	—वही—	—वही—	23.1.83 से 3.2.83	32,805.25

1	2	3	4	5	6
7.	मेजर वी० गुलाटी, प्रबंधक (प्रशिक्षण तथा विकास)	थाइलैण्ड (बैंकाक) तथा हांगकांग	एशियन इंस्टीच्यूट आफ तकनॉलाजी एण्ड थाइलैण्ड मैनेजमैंट एसोसिएशन, बैंकाक में प्रशिक्षण संकल्पनाओं के अध्ययन और हांगकांग में नवीं ए०आर०डी०डी०ओ० अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण व विकास सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए दौरा।	26.11.82 से 4.12.82	17,841.95

अनुलग्नक-II

वर्ष 1982-83 की लेखा परीक्षक-रिपोर्ट में निहित व्याख्यात्मक टिप्पणियां

लेखा परीक्षक-रिपोर्ट के अनुलग्नक के भाग 'क' में पैरा	टिप्पणियां
(i)	लोकतक परियोजना की पूर्व हस्तान्तरण अवधि से संबंधित विविध उपस्कर के ब्यौरों का पता लगाने और जिन मामलों में नहीं दिखाए गए हैं, उनमें परिस्थितिगत ब्यौरे दर्शाने के लिए समीक्षा की जा रही है। स्थिर परिसम्पत्तियों का शेष प्रत्यक्ष सत्यापन 1983-84 के दौरान किया जायेगा तथा उसके बाद कमियाँ, यदि कोई हुई तदनुसार समायोजित की जायेंगी।
(iii)	भण्डारों और फालतू पुर्जों का शेष प्रत्यक्ष सत्यापन 1983-84 के दौरान किया जायेगा और कमियों का समंजन सत्यापन पूरा होने के पश्चात् किया जायेगा।
(v)	ऐसे मामलों, जहाँ अदायगियाँ निर्दिष्ट ढंग से नहीं की गई हैं, का पता लगाया जा रहा है और शेष राशि, यदि कोई हो तो, वसूली की जा रही है।
(vi)	एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सतत् प्रयत्न किए जा रहे हैं।
(viii)	जैसा कि व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है कि पूरी हो चुकी या पूरी होने वाली परियोजनाओं में पड़े फालतू/पुराने भण्डारों, यदि कोई हैं, की पहचान की जा रही हैं। फालतू भण्डारों को अन्य परियोजनाओं, जहाँ आवश्यकता हो, को स्थानान्तरित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बेकार और क्षतिग्रस्त पुर्जों की जिस मात्रा तक पहचान हो चुकी है उनका अन्तिम समायोजन इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात किया जायेगा।
(x)	परियोजनाओं में डिविजनों द्वारा रद्दी माल की जैसे और जब भी पहचान की जाती है, उन्हें रद्दी माल लेखे में स्थानांतरित किया जाता है और उचित रिकार्ड रखे जाते हैं।
(xi)	वर्तमान आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है । आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई उपयुक्त प्रबन्ध स्तर पर मॉनीटर की जा रही है।
(xiii)	दूरदराज क्षेत्रों में स्थित कुछ यूनिटों में संचार व्यवस्था की असुविधा के कारण कुछ मामलों में भविष्य निधि की रकम ट्रस्ट को भेजने में देरी हुई है।
	नोट : लेखा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अधीन भी।

अनुलग्नक-III

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोजगार का रूप (अनुबंधित या अन्य)
1	2	3

(क) (उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और उनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष में 36,000/- रू० से कम नहीं था।)

	सर्वश्री	रु.	
1.	अग्रवाल, आर. के. उप प्रबंधक	37,500.45	पंजाब पी. डब्ल्यू. डी. (सिंचाई) से प्रतिनियुक्ति पर।
2.	अमर नाथ प्रबंधक	45,588.12	नियमित।
3.	अप्पा राव, वाई. एन. उप प्रबंधक	37,023.75	नियमित।
4.	बहादुर, ए. के. सहायक प्रबंधक	39,286.00	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
5.	बजाज, वी. एम. मुख्य इंजीनियर	82,767.70	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
6.	बाल मुकन्द, उप प्रबंधक	41,463.25	नियमित।
7.	बम्बानी, प्रकाश सहायक प्रबंधक	36,654.25	नियमित।
8.	बंधोपाध्याय, एम. आर. प्रबंधक	48,574.75	जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर।

nhpc

योग्यता व अनुभव	ने. हा. पा. का. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
4	5	6	7
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (14 वर्ष)	9.6.78	37	एस. डी. ओ., पी. डब्ल्यू. डी., पंजाब
बी. ए., एस. ए. एस. (26 वर्ष)	20.9.76	51	अनुभाग अधिकारी, इंडियन आडिट एण्ड एकाऊंट्स डिपार्टमेंट ।
बी. ई. (सिविल), एम. ई., (हाइड्रोपावर) (14 वर्ष)	1.8.77	37	सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग
एम. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (9 वर्ष)	2.11.79	34	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (सिविल) (27 वर्ष)	10.5.79	50	निदेशक (यू. टी.), केन्द्रीय जल आयोग
बी. एस. सी. इंजी. (मैक.) (12 वर्ष)	16.12.78	34	सहायक इंजीनियर, ई. आई. एल.
बी. टैक. (ई.) (9 वर्ष)	30.12.81	31	सहायक निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
एम. एस. सी. (एप्लाइड जियोलॉजी) (21 वर्ष)	29.12.80	46	जियोलॉजिस्ट (वरिष्ठ), जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया

1		2	3
9.	बंसल, आर. सी. उप प्रबंधक	50,115.00	नियमित ।
10.	बातिश, ओ. पी. प्रबंधक	43,526.00	नियमित ।
11.	भण्डारी, डी. एन. सहायक प्रबंधक	37,153.95	नियमित ।
12.	भारद्वाज, एच. सी. मुख्य परियोजना प्रबंधक	55,048.56	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
13.	भारद्वाज, एस. आर. प्रबंधक	42,488.05	नियमित ।
14.	भट्टाचारजी, एम. एन. प्रबंधक	46,631.35	नियमित ।
15.	भट्टाचारजी, जे. उप प्रबंधक	39,652.00	नियमित ।
16.	चड्ढा, बी. आर. वरिष्ठ प्रबंधक	42,742.00	पी. डब्ल्यू. डी. पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर ।
17.	चड्ढा, के. सी. सहायक प्रबंधक	38,335.00	नियमित ।
18.	चतरथ, ए. एस. महा प्रबंधक	77,250.75	नियमित ।
19.	चटर्जी, एन. सी. प्रबंधक	45,516.55	नियमित ।
20.	चौहान, मेजर एस. एस. प्रबंधक	43,254.40	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर (1.7.82 से समावेशित) ।

4	5	6	7
एस. ए. एस. (40 वर्ष)	21.9.78	56	लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा के निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व, दिल्ली ।
बी. ए. (आनर्स), एस. ए. एस. (32 वर्ष)	20.6.78	56	वित्त अधिकारी तथा आई. ए. ओ., हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ।
एस. ए. एस. (38 वर्ष)	19.6.77	57	अनुभाग अधिकारी, एफ. ए. एण्ड सी. ए. ओ. का कार्यालय, उत्तर रेलवे ।
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (24 वर्ष)	10.2.76	43	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
एम. ए. (अंग्रेजी), डिप्लोमा इन जर्नेलिज़्म, डिप्लोमा इन मार्किटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट (22 वर्ष)	11.9.81	40	जन सम्पर्क अधिकारी, नेशनल फर्टिलाइज़र लि.
एम. ए. (इकोनो.), पी. जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट (29 वर्ष)	30.12.81	51	सहायक कार्मिक प्रबंधक, भारत एल्यूमिनियम कं. लि.
बी.एस.सी., ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., एस. ए. एस. (28 वर्ष)	24.1.80	47	लेखा अधिकारी, आई. एफ. सी., मणिपुर सरकार
बी. एस. सी. इंजी. (मैक.), सिविल इंजी. में ग्रेजुएशन (26 वर्ष)	15.7.78	47	क्षेत्र अधीक्षक, पंजाब पी. डब्ल्यू. डी., (सिंचाई शाखा)
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (7 वर्ष)	5.8.77	31	पर्यवेक्षक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बी. एस.सी. इंजी. (सिविल) (32 वर्ष)	17.2.78	53	अधीक्षण इंजीनियर, ब्यास सतलज लिंक परियोजना
बी. ई. टेक. (मैक.) (29 वर्ष)	9.4.80	45	वरिष्ठ अधीक्षक (मैक.) आॅयरन ओर माइनिंग कं., बंगलौर
सिविल इंजी. में डिग्री (18 वर्ष)	19.3.79	39	भारतीय सेना में मेजर

1	2	3
21. चोपड़ा, एम. एल. प्रबंधक	40,826.15	नियमित (ऊर्जा मंत्रालय से लियन धारक)
22. चौधरी, एन. के. सहायक प्रबंधक	37,360.20	नियमित ।
23. दिग्रोरारी, बी. डी. सहायक प्रबंधक	37,057.50	नियमित । (डी. एस. ग्राई. डी. सी. से लियन धारक)
24. डिवेटिया (कु.) ई. वरिष्ठ प्रबंधक	51,349.80	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन धारक) ।
सर्वश्री		
25. डोगरा, के. डी. सहायक प्रबंधक	41,110.00	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
26. द्विवेदी, एम. जी. उप प्रबंधक	50,083.50	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
27. गंगोपाध्याय, ए. के. प्रबंधक	42,185.10	नियमित ।
28. घोष, एल. एन. प्रबंधक	47,718.95	नियमित ।
29. घोष, एम. के. वरिष्ठ प्रबंधक	56,549.74	नियमित ।
30. गोयल, टी. के. सहायक प्रबंधक	36,811.00	नियमित ।
31. गोथरा, मेजर जी. एस. प्रबंधक	46,621.50	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर (1.7.82 से समावेशित) ।
32. गोयल, जे. एम. उप प्रबंधक	42,803.95	नियमित ।

4	5	6	7
बी. ए., पी. जी. डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (23 वर्ष)	27.11.81	51	सम्पर्क अधिकारी, चुखा हाइडल परियोजना, भूटान
ए. एम. आई. ई. (सिविल), डिप्लोमा इन सिविल इंजी. (13 वर्ष)	15.7.81	36	रेज़िडेंट इंजीनियर, एन. बी. सी. सी. लि. नई दिल्ली।
एम. ए. (इकोनो.) (10 वर्ष)	23.5.81	45	उप प्रबंधक, डी. एस. आई. डी. सी.
बी. ई. (सिविल), एम. टेक. (24 वर्ष)	22.3.79	46	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (14 वर्ष)	30.9.80	37	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
एम. ई. (विद्युत) (21 वर्ष)	13.3.78	37	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (सिविल) (17 वर्ष)	10.9.81	37	कार्यपालक इंजीनियर (पी. डब्ल्यू. डी.) गोवा, दमन और दिऊ सरकार (पणजी)
एम. बी. ए. (वित्त), डिप्लोमा इन फाइनेंस कंट्रोल, पी. जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डैटा प्रोसेसिंग (19 वर्ष)	1.10.81	38	उप लेखा प्रबंधक, एम. एम. टी. सी. ऑफ इंडिया लि.
बी. ई. (सिविल) (22 वर्ष)	23.2.79	44	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स आर्गेनाइज़ेशन
बी. ई. (मैके.), ए. एम. आई. ई. (सिविल) (13 वर्ष)	22.4.81	38	शिफ्ट इंजीनियर, ब्यास परियोजना, तलवाड़ा
इंजी. में डिग्री (सिविल), एल. एल. बी., (19 वर्ष)	12.3.79	46	भारतीय सेना में मेजर
बी. ए., एस. ए. एस. (रेलवे) (31 वर्ष)	15.4.78	51	लेखा अधिकारी, एन.एम.डी.सी. लि.

1		2	3
33.	गोयल, पी. पी. निजी सचिव	40,776.60	नियमित ।
34.	गुलाटी, मेजर वी. प्रबंधक	53,624.50	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर (1.7.82 से समावेशित) ।
35.	गुप्ता, डा. जी. सी. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	47,096.12	नियमित ।
36.	गुप्त, डा. जे. पी. सहायक प्रबंधक	36,887.80	नियमित ।
37.	गुप्ता, एम. एल. प्रबंधक	51,512.50	नियमित ।
38.	गुप्ता, एम. पी. सहायक प्रबंधक	40,560.00	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
39.	गुप्ता, एम. एस. सहायक प्रबंधक	51,162.40	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
40.	गुप्ता, आर. सी. महा प्रबंधक	85,300.00	नियमित ।
41.	गुप्ता, वी. के. उप प्रबंधक	39,517.00	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर ।
42.	हरदेव सिंह सहायक प्रबंधक	40,720.85	नियमित ।
43.	हाशिया, एम. एल. प्रबंधक	36,948.84	पी. डब्ल्यू. डी., जम्मू व कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर ।
44.	हुसैन, एस. एम. सहायक प्रबंधक	36,409.50	नियमित ।
45.	अय्यर, एस. जी. सहायक प्रबंधक	39,183.95	नियमित ।

nhpc

4	5	6	7
मैट्रिक (29 वर्ष)	23.5.80	45	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में निजी सहायक
ए. एम. आई. ई. (मैक.) (16 वर्ष)	1.3.80	36	भारतीय सेना में मेजर
एम. बी. बी. एस. (13 वर्ष)	24.4.81	36	भारतीय सेना में मेजर
एम. ए., पी. एच. डी., प्रभाकर (हिन्दी में ग्रानर्स) (30 वर्ष)	15.11.78 (अपराह्न)	50	सहायक शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
बी. एस. सी. इंजी. (मैक.) (16 वर्ष)	29.4.80	38	उप प्रबंधक, बी. एच. ई. एल.
बी. ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	30.7.79	40	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (विद्युत), एम. टैक. (इंस्ट्रूमेंटेशन) (9 वर्ष)	12.12.79	35	इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
व्यावसायिक प्रबंधक (39 वर्ष)	4.4.77	58	उप महा प्रबंधक (कार्मिक), बी. एच. ई. एल.
बी. ई. (सिविल) ग्रानर्स (17 वर्ष)	10.5.78	39	उप निदेशक, सी. एच. ई. पी. कंट्रोल बोर्ड
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (9 वर्ष)	26.7.77	33	परियोजना इंजीनियर, बी. एस. एल. परियोजना, सुन्दर नगर
बी. ई. (सिविल) (23 वर्ष)	23.7.81	45	कार्यपालक इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., जम्मू व कश्मीर
बी. एस. सी. इंजी. (सी.), पी. जी. डिप्लोमा इन स्ट्रक्चर्स (10 वर्ष)	14.12.81	33	सहायक इंजीनियर, बिहार सिंचाई विभाग
एम. ए. (सोसिओलॉजी), डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन लेबर लॉज ग्राई. सी. एस. आई. (इन्टर) (16 वर्ष)	22.12.81	36	प्रशासनिक अधिकारी, एन. बी. सी. सी. लिमिटेड

1		2	3
46.	जग्गी, ए. एल. मुख्य परियोजना प्रबंधक	52,476.50	नियमित।
47.	जैन, ए. के. वरिष्ठ प्रबंधक	58,788.75	नियमित।
48.	जैन, एन. सी. सहायक प्रबंधक	56,381.50	सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
49.	जैन, पी. पी. वरिष्ठ प्रबंधक	52,287.30	नियमित।
50.	जैन, एस. एल. उप प्रबंधक	37,534.00	नियमित।
51.	जैन, टी. सी. वरिष्ठ प्रबंधक	53,136.95	नियमित।
52.	जिर, पी. एन. निजी सचिव	38,157.90	नियमित।
53.	जुगेन्द्र सिंह, उप प्रबंधक	36,991.30	नियमित।
54.	जोस, पी. सी. उप प्रबंधक	40,377.30	नियमित।
55.	जोशी, वी. के. ओ. एस. डी.	59,769.20	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
56.	कल्सी, जे. एस. उप प्रबंधक	54,695.55	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
57.	कांजलिया, वी. के. उप प्रबंधक	54,317.05	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर (1.12.82 से समावेशित)।
58.	कंवर, बी. एस. प्रबंधक	56,225.00	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।

4	5	6	7
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (21 वर्ष)	20.1.78	43	अधीक्षण इंजीनियर, बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. काम., ए. सी. ए., (14 वर्ष)	28.11.78	37	उप लेखा प्रबंधक, इफको, नई दिल्ली
बी. ई. (सिविल) (16 वर्ष)	25.9.79	41	एस. डी. ओ., सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार
एम. ए., एल. एल. बी., डिप्लोमा इन लेबर लॉज, लेबर वैलफेयर एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट (30 वर्ष)	26.10.78	53	प्रबंधक (कार्मिक), बी.एच.ई.एल.
एम. ई. (सिविल) (16 वर्ष)	1.7.80	40	सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (27 वर्ष)	15.7.77	50	उप निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बी. ए., डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट (27 वर्ष)	19.2.77	49	पी. एस., रेलवे बोर्ड
एम. एस. डब्ल्यू., एल. एल. बी., (12 वर्ष)	10.5.78	37	कार्मिक-सह-श्रम कल्याण अधिकारी, पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड, नाभा
बी. एस. सी. इंजी. (मैक.), एम. टैक. (डिज़ाइन) (11 वर्ष)	24.12.79	36	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
बी. ई. (सिविल) (30 वर्ष)	31.3.79	52	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
डिप्लोमा इन सिविल इंजी., बी. ए. (26 वर्ष)	26.12.78	49	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ।
एम. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (13 वर्ष)	08.05.79	37	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (20 वर्ष)	26.06.81	41	कार्यपालक इंजीनियर, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड

1		2	3
59.	कंवर, आर. एस. उप प्रबंधक	41,975.93	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
60.	कपिल, ए. के. सहायक प्रबंधक	41,674.45	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
61.	कपूर, जी. के. लेखा अधिकारी	36,422.60	नियमित ।
62.	कपूर, जे. एन. सहायक प्रबंधक	40,337.80	लेखा परीक्षा के निदेशक का कार्यालय, उत्तर रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर (1.11.82 से समावेशित) ।
63.	कपूर, वी. के. उप प्रबंधक	37,577.45	नियमित ।
64.	खर, पी. एन. मुख्य इंजीनियर	57,279.78	नियमित ।
65.	खोसला, सी. पी. सहायक प्रबंधक	40,141.90	नियमित ।
66.	खुँगर, जे. एन. प्रबंधक	45,513.80	सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार से प्रतिनियुक्ति पर ।
67.	कोचर, बी. एस. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	58,643.62	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर (सरकारी नियुक्ति) ।
68.	कौल, बी. एन. सहायक प्रबंधक	38,914.00	महालेखाकार, जम्मू व कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर ।
69.	कृष्ण मोहन, प्रबंधक	41,139.70	नियमित ।
70.	कृष्णामूर्ति, एम. प्रबंधक	46,308.45	नियमित ।

4	5	6	7
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत), पी. जी. डिप्लोमा इन वाटर रिसोर्सिस डिवेल्पमेंट (हाइड्रो पावर) (14 वर्ष)	12.06.78	38	सहायक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
ए. एम. ग्राई. ई. (सिविल) डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग (21 वर्ष)	10.07.81	40	सहायक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ए., एस. ए. एस. (25 वर्ष)	20.04.78	49	अनुभाग अधिकारी, डी. ए. सी. आर., नई दिल्ली
एम. ए., एल. एल. बी., एस. ए. एस., (25 वर्ष)	07.02.81	53	लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा के निदेशक का कार्यालय, उत्तर रेलवे
एम. टेक. (सी.) (12 वर्ष)	07.11.78	37	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.
बी. ई. (सिविल), एम. ई., एम. आई. ई., एम. आई. ए. एच. आर. (27 वर्ष)	15.05.78	47	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. ए., पी. जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स (37 वर्ष)	7.09.79	53	कार्मिक अधिकारी, एन. टी. पी. सी.
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (22 वर्ष)	06.08.77	43	कार्यपालक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
बी. ई. (इलै. व मैक.) (34 वर्ष)	17.02.82	58	मुख्य इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, सदस्य (विद्युत), बी. बी. एम. बी.
बी. ए., एस. ए. एस. (33 वर्ष)	02.09.81	52	लेखा अधिकारी, महालेखाकार (जम्मू व कश्मीर)
एम. ए. (श्रम व समाज कल्याण) (19 वर्ष)	04.06.78	45	उप प्रबंधक (कार्मिक), भारत कोकिंग कोल लि.
बी. ई. (विद्युत), सीनियर डिप्लोमा इन जर्मन, डिप्लोमा इन रशियन (18 वर्ष)	29.06.81	42	उप प्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लि.

1		2	3
71.	कुमार, बी. प्रबंधक	37,706.61	नियमित ।
72.	कुमार, एस. के. सहायक प्रबंधक	38,977.95	नियमित ।
73.	कुँज्यापन्न, एम. वी. प्रबंधक	37,775.65	नियमित ।
74.	श्रीमती ललिथा, ओ. आर. उप प्रबंधक	36,820.20	नियमित ।
	सर्वश्री		
75.	लोमस, ए. के. सहायक प्रबंधक	36,645.70	नियमित ।
76.	मदन लाल प्रबंधक	37,994.89	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
77.	मदान, आर. के. वरिष्ठ प्रबंधक	57,360.10	नियमित ।
78.	मैनी, एस. एस. प्रबंधक	44,942.30	पंजाब सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ।
79.	मल्होत्रा, जी. जी. प्रबंधक	44,632.60	नियमित ।
80.	मल्होत्रा, एस. पी. सहायक प्रबंधक	42,659.40	नियमित ।
81.	मन्डप्पा, बी. एम. मुख्य इंजीनियर	79,484.45	नियमित ।

nhpc

4	5	6	7
एम. ए. (श्रम व समाज कल्याण), बी. एल. (17 वर्ष)	12.07.78	44	कार्मिक अधिकारी, बोकारो स्टील लि.
बी. एस. सी. इंजी. (मैक.) (13 वर्ष)	04.08.77	38	शिफ्ट इंजीनियर, ब्यास सतलज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर
बी. एस. सी. (इंजी.) (सिविल) (17 वर्ष)	01.01.77	43	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, लोकतक जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. ई. सिविल) (11 वर्ष)	02.06.83	35	सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग
बी. एस. सी. इंजी. (एम.), एम. ए. (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) (10 वर्ष)	08.06.81	31	कार्यपालक इंजीनियर, वैस्ट्रन कोलफील्डस लि.
बी. ई. (विद्युत) (13 वर्ष)	06.09.77	37	वरिष्ठ सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (19 वर्ष)	12.12.79	41	मुख्य इंजीनियर, मैसर्स आर. एस. स्टील वर्क्स, बरेली
ए. एम. आई. ई., डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग (26 वर्ष)	04.02.80	55	वरिष्ठ डिज़ाइन इंजीनियर, पंजाब सिंचाई विभाग
बी. ए., एल. एल. बी., डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ (19 वर्ष)	15.05.78	39	सहायक विधि सलाहाकार, ओ. एन. जी. सी.
बी. ए. (आनर्स) (27 वर्ष)	30.04.77	47	निजी सचिव, ऊर्जा मंत्रालय
बी. ई. (सिविल इंजी.) एम. आई. स्ट्रक्ट., ई. (लन्दन) एफ. आई. ई. (26 वर्ष)	01.10.81	50	अधीक्षक (डिज़ाइन), सेल, (बोकारो स्टील प्लांट)

1		2	3
82.	माथुर, जी. एन. उप प्रबंधक	37,140.75	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
83.	मेहता, ओ. पी. महा प्रबंधक	79,311.75	नियमित।
84.	मिश्रा, एच. एस. उप प्रबंधक	37,386.00	नियमित।
85.	मिश्रा, एस. बी. सी. उप प्रबंधक	40,377.55	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
86.	मित्तल, एस. के. वरिष्ठ प्रबंधक	48,312.30	नियमित।
87.	मोटवानी, के. वी. वरिष्ठ प्रबंधक	44,210.40	पी. डब्ल्यू. डी. (पंजाब) से प्रतिनियुक्ति पर।
88.	मुखर्जी, के. वरिष्ठ प्रबंधक	49,190.32	नियमित।
89.	मुखर्जी, एस. के. सहायक प्रबंधक	41,539.15	महालेखाकार (उत्तर प्रदेश) से प्रतिनियुक्ति पर।
90.	मुरारी लाल, प्रबंधक	36,625.17	नियमित।
91.	नायडू, बी. एस. के. प्रबंधक	50,993.34	नियमित।
92.	नाम्बियार, ले. कर्नल एन. पी. के. वरिष्ठ प्रबंधक	37,194.30	पुनः रोज़गार प्राप्त।
93.	नन्द गोपाल, प्रबंधक	50,780.00	नियमित।
94.	नारंग, एस. एम. उप प्रबंधक	38,995.05	नियमित।

4	5	6	7
ए. एम. आई. ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	07.04.78	40	सहायक इंजीनियर, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (33 वर्ष)	01.01.80	54	मुख्य इंजीनियर, चुखा परियोजना प्राधिकरण, भूटान
ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., एस. ए. एस. (25 वर्ष)	21.12.79	54	आर. ए. ओ., महालेखाकार, हरियाणा का कार्यालय
बी. ई. (विद्युत) (10 वर्ष)	04.05.77	36	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (विद्युत) (23 वर्ष)	20.05.78	47	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (विद्युत) (27 वर्ष)	08.09.77	52	कार्यपालक इंजीनियर, ब्यास सतलज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर
एफ. आई. सी. डब्ल्यू. ए. (26 वर्ष)	25.01.79	47	सहायक वित्त प्रबंधक, एफ. सी. आई., पी. एण्ड डी. डिविजन, सिन्द्री
एम. ए. (अर्थशास्त्र) (29 वर्ष)	20.04.81	53	लेखा अधिकारी, महालेखाकार (उत्तर प्रदेश) का कार्यालय
बी. ई. (सिविल) (20 वर्ष)	22.10.81	42	कार्यपालक इंजीनियर, आई. डी. पी. एल.
बी. ई. आनर्स (एम.) एम. टेक. (हाइड्रो-इलै.) (14 वर्ष)	28.02.82	37	प्रबंधक, बी. एच. ई. एल.
बी. ई. (सिविल), एम. आई. ई. (26 वर्ष)	21.07.80	52	भारतीय सेना में ले. कर्नल
बी. ई. (सिविल), एम. ई. (स्ट्रक्चर्स) (16 वर्ष)	03.04.80	41	उप प्रबंधक, टी. एस. पी. लि. तुंगभद्रा बांध
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (16 वर्ष)	14.02.79	39	सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग

1		2	3
95.	नारायनन, ब्रिग. पी. एन. एस. महा प्रबंधक	60,722.65	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर (1.7.82 से समावेशित) ।
96.	नीमा, एस. के. सहायक प्रबंधक	36,722.65	नियमित ।
97.	पारदासानी, एन. एच. उप प्रबंधक	42,454.80	नियमित ।
98.	प्रभाकर, आर. डी. उप प्रबंधक	46,617.70	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
99.	प्रसादा राव, पी. डी. प्रबंधक	38,800.05	नियमित (केन्द्रीय जल-आयोग से लियन-धारक) ।
100.	प्रशाद, बी. वी. प्रबंधक	44,541.86	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
101.	प्रेम सिंह, सुरक्षा अधिकारी	37,299.00	हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर ।
102.	प्रितपाल सिंह, कुँवर, वरिष्ठ प्रबंधक	41,932.00	पी. डब्ल्यू. डी., जम्मू व कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर ।
103.	राघवन, एस. प्रबंधक	40,111.00	नियमित ।
104.	रैना, ए. एच. मख्य इंजीनियर	63,841.55	नियमित ।
105.	राजागोपालन, आर. महा प्रबंधक	74,644.20	नियमित ।
106.	रामामूर्ति, ए. आर. प्रबंधक	43,762.45	नियमित ।

4	5	6	7
डिग्री इन इंजी. (सिविल), एम. आई. ई. (30 वर्ष)	30.03.81	51	मुख्य इंजीनियर, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
बी. ई. (विद्युत) डिप्लोमा इन बिज़ीनैस मैनेजमेंट (11 वर्ष)	16.07.81	38	सहायक प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम
बी. कॉम. (आनर्स) ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए. (26 वर्ष)	06.09.78	53	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एन. पी. सी. सी.
एम. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (12 वर्ष)	31.03.79	35	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (सिविल) (19 वर्ष)	23.06.80	43	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
बी. टैक. (विद्युत) (16 वर्ष)	14.04.80	39	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
एफ. ए. (लाहौर) (33 वर्ष)	01.06.80	55	उप पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा
बी. ई. (सिविल), ए. एम. आई. ई. (27 वर्ष)	01.12.77	49	अधीक्षण इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., जम्मू व कश्मीर
बी. ए., एल. एल. बी., पी. जी. डिप्लोमा इन लेबर-लॉज़, लेबर वैल्फेयर एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट (23 वर्ष)	27.11.81	44	कार्मिक अधिकारी, भारत एल्यूमिनियम कं. लि.
बी. ई. (विद्युत) (22 वर्ष)	15.05.78	52	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. एस. सी., बी. एल. (28 वर्ष)	19.11.78	54	महालेखाकार, जम्मू व कश्मीर
ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., ए. सी. एस. (29 वर्ष)	11.08.78	46	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक, एफ. सी. आई.

	1	2	3
107.	रामन, एन. वी. कम्पनी सचिव	47,011.65	नियमित ।
108.	रामतानी, श्राई. एल. प्रबंधक	44,095.75	नियमित ।
109.	राव, पी. एल. प्रबंधक	36,630.00	नियमित ।
110.	रस्तोगी, वी. पी. प्रबंधक	44,091.65	नियमित ।
111.	सचदेवा, ए. के. उप प्रबंधक	38,409.60	नियमित ।
112.	सचदेव, एच. एस. उप प्रबंधक	50,001.30	नियमित ।
113.	साहू, डा० एस. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	40,686.00	मणिपुर स्वस्थ्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर।
114.	सक्सैना, जे. सी. विधि अधिकारी	38,007.10	नियमित ।
115.	शामीरी, जे. ए. वरिष्ठ प्रबंधक	42,742.00	जम्मू व कश्मीर सरकार से प्रतिनियुक्ति पर ।
116.	शर्मा, ब्रिजेन्द्र प्रबंधक	42,133.65	नियमित ।
117.	शर्मा, डी. के. कार्मिक अधिकारी	38,387.36	नियमित ।

4	5	6	7
बी. ए., एल. एल. बी., जी. डी. सी. एस., ए. सी. एस., आई. सी. डब्ल्यू ए. (इन्टर), डिप्लोमा इन लेबर लॉज (26 वर्ष)	15.12.78	46	उप कम्पनी सचिव, इंजीनियर्स इण्डिया लि.
बी. ए., एल. एल. बी., पी. जी. डिप्लोमा इन लेबर लॉज, लेबर वैल्फेयर एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट (23 वर्ष)	02.11.81	41	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड
ए. एम. आई. ई. (23 वर्ष)	12.03.81	44	डिविजनल इंजीनियर, रिहैबिलिटेशन, रैक्लेमेशन आर्गेनाज़ेशन, डिपार्टमेंट आफ रिहैबिलिटेशन, भारत सरकार
ए. एम. आई. ई., डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन (25 वर्ष)	09.06.81	43	उप बिक्री प्रबंधक, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
बी. ई. (एम.) (13 वर्ष)	21.12.78 (अपराह्न)	35	सहायक इंजीनियर, एन. एफ. एल.
बी. ए. (32 वर्ष)	19.09.79	51	राज्य ऊर्जा मन्त्री के निजी सचिव
एम. बी. बी. एस. (8 वर्ष)	06.02.78	36	सहायक सर्जन ग्रेड-1, स्वस्थ्य सेवा, मणिपुर सरकार
एम. ए., एल. एल एम. (27 वर्ष)	07.12.78	48	स्लैक्शन ग्रड आडिटर, ए. जी. सी. आर.
एम. एस. सी. इंजी. (सिविल) (17 वर्ष)	17.11.78	45	कार्यपालक इंजीनियर, जम्मू व कश्मीर
बी. टेक. (सिविल), एम. टैक. (19 वर्ष)	18.07.81	42	रिसर्च इंजीनियर, स्कूल ऑफ रॉक मैडिसन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरुहे, पश्चिमी जर्मनी
बी. ए., पी. जी. डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड पर्सनल मैनेजमेंट (20 वर्ष)	1.2.78	45	निजी सचिव ग्रेड-1, बी. एच. ई. एल.

1		2	3
118.	शर्मा, के. एन. सहायक प्रबंधक	37,611.05	नियमित ।
119.	शर्मा, के. एस. उप प्रबंधक	39,806.00	पंजाब पी. डब्ल्यू. डी. (आई. बी.) से प्रतिनियुक्ति पर ।
120.	शर्मा, ओ. पी. वरिष्ठ प्रबंधक	56,037.91	नियमित ।
121.	शर्मा, आर. के. उप प्रबंधक	41,559.30	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
122.	शर्मा, वी. के. महा प्रबंधक	86,122.05	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
123.	शर्मा, वी. के. उप प्रबंधक	56,118.95	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
124.	शर्मा, वी. के. सहायक प्रबंधक	44,288.05	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ।
125.	शेनवी, एन. आर. उप प्रबंधक	39,303.05	नियमित ।
126.	सिंह, बी. आर. सहायक प्रबंधक	37,504.00	नियमित ।
127.	सिंह, गुरूमुख पाल उप प्रबंधक	44,201.30	पंजाब सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
128.	सिंह, जे. पी. सहायक प्रबंधक	37,313.15	नियमित ।
129.	सिंह, के. पी. उप प्रबंधक	36,820.20	नियमित ।
130.	सिंह, मेजर आर. डी. पी. प्रबंधक	36,798.90	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर ।

4	5	6	8
एम. ई. (सिविल) (14 वर्ष)	14.04.81	37	सिविल इंजीनियरिंग में प्राध्यापक, एम. आर. इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर
बी. एस. सी. (इंजी.) आनर्स (सिविल) (16 वर्ष)	23.05.77	34	एस. डी. ओ., पी. डब्ल्यू. डी. पंजाब (आई. बी.)
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (21 वर्ष)	15.05.78	45	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. ई. (विद्युत) एम. आई. ई., पी. जी. डिप्लोमा इन इलै. इंजी., डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट (15 वर्ष)	31.08.78	36	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
बी. एस. सी. (इंजी.) (विद्युत) (34 वर्ष)	06.12.79	53	महा प्रबंधक-सह-मुख्य इंजीनियर, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (मैक.) (13 वर्ष)	23.10.78	38	सहायक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. एस. सी. इंजी. (सिविल) (9 वर्ष)	27.04.81	34	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बी. ई. (सिविल) (13 वर्ष)	09.10.78	36	ग्रुप इंजीनियर, मैसूर पावर कारपोरेशन लि.
बी. एस. सी. इंजी. (विद्युत) (12 वर्ष)	02.08.77	38	सैक्शनल आफिसर, ब्यास सतलज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर
डिप्लोमा इन सिविल इंजी. (35 वर्ष)	24.07.78	57	उप क्षेत्र अधीक्षक ब्यास सतलज लिंक परियोजना
बी. एस. सी. इजी. (सिविल) (5 वर्ष)	16.12.77	28	—
बी. ई. (विद्युत) (11 वर्ष)	11.03.80	35	सहायक निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बी. एस. सी. इजी. (सिविल) (16 वर्ष)	21.03.79	39	भारतीय सेना में मेजर

1		2	3
131.	सिंघल, एम. के. मुख्य इंजीनियर	62,395.05	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ।
132.	सिन्हा, ए. एस. सी. प्रबंधक	43,742.25	नियमित ।
133.	सिन्हा, बी. एस. पी. वरिष्ठ प्रबंधक	55,312.40	बी. एच. ई. एल. से प्रतिनियुक्ति पर ।
134.	सुब्रामणि, सी. जी. वरिष्ठ प्रबंधक	47,387.72	नियमित ।
135.	सुब्रामणियन, के. वरिष्ठ प्रबंधक	52,540.40	नियमित ।
136.	सुब्रामणियन, वी. निदेशक (वित्त)	78,830.30	नियमित (सरकारी नियुक्ति) ।
137.	थापर, वी. उप प्रबंधक	37,473.55	चण्डीगढ़ प्रशासन से प्रतिनियुक्ति पर (1.9.82 से समावेशित) ।
138.	त्यागी, जी. डी., मुख्य परियोजना प्रबंधक	49,453.00	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ।
139.	उलगानाथन, डी. उप प्रबंधक	36,481.05	नियमित ।
140.	वराथाराजन, आर. प्रबंधक	42,528.25	नियमित ।
141.	वैंकटाचलम, के. आर. निजी सचिव	42,395.90	नियमित ।
142.	वैंकटारमय्या, पी. प्रबंधक	43,875.65	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन धारक) ।
143.	वैंकटेश, सी. आर. प्रबंधक	45,450.20	नियमित ।

4	5	6	7
बी. ई. (सिविल) एम. ई. (30 वर्ष)	01.01.82	51	अधीक्षक इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
बी. एस. सी. (प्रोड. इंजी.), एम. एस. (मैक. इंजी.), एम. बी. ए. (14 वर्ष)	30.06.81	35	वरिष्ठ प्लानिंग इंजीनियर, बी. एच. ई. एल.
बी. ए., एल. एल. बी. (20 वर्ष)	03.06.81	43	प्रबंधक, बी. एच. ई. एल.
बी. ई. (सिविल), एम. आई. ई. (22 वर्ष)	03.10.79	45	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स डिपार्टमेंट
बी. ए., बी. एल., ए. आई. सी. डब्ल्यू ए. (30 वर्ष)	01.03.78	57	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड
बी. एस. सी. (आनर्स), एल. एल. बी. (30 वर्ष)	27.01.78	54	लेखा सदस्य, केरल राज्य विद्युत बोर्ड
एम. ए. (16 वर्ष)	03.10.79	55	सहायक निदेशक, दिल्ली प्रशासन
बी. ई. (सिविल) (27 वर्ष)	10.02.78	50	कार्यपालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
बी. ई. (विद्युत) (10 वर्ष)	16.06.77	33	सहायक इंजीनियर, तमिलनाडू विद्युत बोर्ड
एम. ए. (अंग्रेजी), एम. ए. (अर्थशास्त्र), एस. ए. एस. (28 वर्ष)	13.11.78	53	राजस्व लेखा परीक्षा अधिकारी, ए. जी. सी. आर.
एस. एस. एल. सी. (26 वर्ष)	01.08.78	49	सचिव (विद्युत) के विशेष निजी सहायक, ऊर्जा मंत्रालय
बी. ई. (सिविल) (26 वर्ष)	25.01.80	51	अधीक्षण इंजीनियर, चुखा परियोजना प्राधिकरण, भूटान
बी. ई. (सी.), एम. ई. (स्ट्रक्चर) (15 वर्ष)	29.07.81	38	वैज्ञानिक, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

1	2	3
144. वर्मा, डी. पाल प्रबंधक	45,107.13	नियमित ।
145. वर्मा, मेजर एस. प्रबंधक	57,470.00	सेना से प्रतिनियुक्ति पर (1.7.1982) से समावेशित) ।
146. विश्वनाथन, एन. वरिष्ठ प्रबंधक	51,404.30	नियमित ।
147. यादुवेन्द्रा, आर. के. प्रबंधक	37,976.60	नियमित ।
148. जुत्शी, के. एल. वरिष्ठ प्रबंधक	43,263.00	नियमित ।

(ख) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 3,000/- रु० प्रतिमास से कम नहीं था ।

1	2	3
सर्वश्री		
1. बाजपेयी, ओ. एम. प्रबंधक	40,434.55	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ।
2. गोयल, जे. पी. प्रबंधक	12,751.00	पंजाब सिंचाई व विद्युत विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ।
3. जावेरी, सी. एस. सहायक प्रबंधक	21,231.00	नियमित (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से लियन धारक) ।
4. नागभूषण, के. एम. प्रबंधक	39,162.05	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन धारक) ।
5. नन्दी, अमिताव प्रबंधक	03,459.85	नियमित ।

4	5	6	7
बी. एस. सी. इजी. (सी) (17 वर्ष)	09.08.76	41	एस. डी. ओ., पंजाब पी. डब्ल्यू. डी. (सिंचाई)
बी. ई. (सिविल) (19 वर्ष)	06.03.79	40	भारतीय सेना में मेजर
एम. ई. (सिविल) (19 वर्ष)	17.09.79	43	सहायक मुख्य इंजीनियर, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
एम. एस. सी. (मैकेनिकल) एम. बी. ए. (18 वर्ष)	01.01.82	41	उप निदेशक, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
बी. ई. (सिविल) एम. टेक. (21 वर्ष)	मई, 1978	45	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार

4	5	6	7
बी. ई. (सिविल) (21 वर्ष)	20.02.82	42	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग
बी. एस. सी. इजी. (विद्युत) (26 वर्ष)	01.04.80	49	निदेशक / अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बी. ई. (विद्युत) (10 वर्ष)	01.09.82	33	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बी. ई. (सिविल) (24 वर्ष)	31.03.80	48	अधीक्षण इंजीनियर, चुखा हाइडल परियोजना
बी. टेक. (मैक. इंजी.), एम. टेक. (इंड. इंजी. एण्ड ऑपरेशन) (12 वर्ष)	03.11.81	35	उप प्रबंधक, बी. एच. ई. एल.

1		2	3
6.	पीरज़ादा गुलाम नबी निदेशक (तकनीकी)	34,610.10	सरकारी नियुक्ति ।
7.	पुरोहित, डी. सी. प्रबंधक	04,471.10	नियमित ।
8.	राव, डी. एन. मुख्य इंजीनियर	40,517.35	केन्द्रीय जल श्रायोग से प्रतिनियुक्ति पर ।
9.	सिंह, डा. टीएच. गोपीरामन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	17,438.80	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर ।
10.	तनेजा, एस. के. प्रबंधक	22,976.60	पी. डब्ल्यू. डी. पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर ।
11.	उपाध्याय, जी. प्रबंधक	12,285.85	नियमित ।
12.	वर्मा, दलीप सहायक प्रबंधक	32,515.40	नियमित ।

टिप्पणियां : (1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी श्रधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं ।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, कम्पनी पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं ।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं ।

4	5	6	7
एम. एस. सी. इन सिविल इंजी., कोलम्बिया यूनिवर्सिटी (यू. एस. ए.) (33 वर्ष)	07.07.82	56	विशेष ड्यूटी अधिकारी, पी. डब्ल्यू. डी., जम्मू व कश्मीर
बी. ई. (सिविल), एम. ई. (पावर सिस्टम) (13 वर्ष)	18.02.83	34	परियोजना इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
बी. ई. (मैक.) (32 वर्ष)	24.05.80	55	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
एम. बी. बी. एस. (33 वर्ष)	01.01.77	58	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, लोकतक जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
बी. ई. (सिविल) (21 वर्ष)	13.08.82	46	एस. डी. ई., सिंचाई विद्युत विभाग, पंजाब
बी. ए. (आनर्स), मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड वैल्फेयर (13 वर्ष)	02.11.81	38	सहायक प्रबंधक (कार्मिक), राउरकेला स्टील प्लांट
बी. ई. (मैक.) (11 वर्ष)	03.06.81	32	इंजीनियर, बी. एच. ई. एल.

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं—कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर किए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि ।

(ख) ग्रेच्यूटी राशि को नहीं गिना गया है क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन बीमा निगम से तय ग्रेच्यूटी तथा जीवन बीमा निगम पालिसी के आधार पर की गई है ।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है ।

31-3-1983 का तुलन-पत्र

ब्यौरे	अनुसूची	
निधियों के स्रोत		
1. हिस्सेदारों की निधि		
क) पूंजी	'क'	1,29,82,13
ख) हिस्सा पूंजी जमा		18,57,96
ग) आरक्षित तथा अधिशेष	'ख'	23,44,74
2. अनुदान	'ग'	
3. ऋण निधियां		
अनारक्षित ऋण	'घ'	
जोड़		
निधियों का उपयोग		
1. स्थिर परिसम्पत्तियां	'ङ'	
कुल ब्लॉक		1,59,05,95
घटाएँ : मूल्यह्रास		16,73,30
शुद्ध ब्लॉक		
2. चालू पूंजीगत कार्य	'च'	
3. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां	'छ'	
क) सम्पत्ति सूचियां		8,61,82
ख) नकद व बैंक शेष		27,57,55
ग) विभिन्न देनदार		21,12,86
घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		69,42
ङ) ऋण तथा पेशगियां		21,94,20
		79,95,85
घटाएं : चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	'ज'	
क) देयताएं		34,38,00
ख) व्यवस्थाएं		—
जोड़		34,38,00

(रुपए हजारों में)

31-3-1983		31-3-1982
	1,02,82,13	
	—	
1,71,84,83	3,69,22	1,06,51,35
24,37		12,67
1,49,87,86		1,51,34,01
3,21,97,06		2,57,98,03
	30,19,72	
	9,00,15	
1,42,32,65		21,19,57
1,17,93,78		2,20,44,53
	7,83,01	
	14,71,78	
	4,27,64	
	47,77	
	12,75,14	
	40,05,34	
	24,35,94	
	—	
	24,35,94	

31-3-1983 का तुलन-पत्र

ब्यौरे	अनुसूची
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	
4. बट्टे खाते में डाला गया या समंजित न हुआ की सीमा तक विविध खर्च	'झ'
5. लाभ और हानि लेखा (हानि)	
लेखा तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियां	'ट'
अनुसूची VI के भाग II के अधीन अतिरिक्त सूचना	'ठ'
अनुसूची 'क' से 'ठ' 1,2 और 3 तथा लेखा नीतियां, लेखों के अभिन्न अंग हैं ।	

नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितम्बर, 1983

एन. वी. रामन
सचिव

(रुपए हजारों में)

31-3-1983	31-3-1982
45,57,85	15,69,40
36,22	64,53
15,76,56	—
3,21,97,06	2,57,98,03

वी. सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

पीरज़ादा गुलाम नबी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न अलग रिर्पोट के अनुसार
कृते एस. एल. खिन्दारिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एस. एल. खिन्दारिया
भागीदार

31-3-1983 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	अनुसूची	31.3.1983
आय		
1. विद्युत शक्ति की बिक्री से राजस्व		24,36,26
2. विविध आय	1	3,15
3. कुल आय		24,39,41
खर्च		
4. कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ	2	72,52
5. जनरेशन, पारेषण और प्रशासनिक खर्चे	3	1,92,89
6. जनरेशन पर उत्पाद शुल्क		1,38,93
7. जनरेशन पर रॉयल्टी प्रभारें		1,22,81
8. मूल्यह्रास		4,22,25
9. सरकारी ऋणों पर ब्याज		7,17,83
10. बट्टे खाते डाले गए प्रारम्भिक खर्चे		4,00
कुल खर्च		16,71,23
11. आयकर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		7,68,18
12. निवेश भत्ता रिज़र्व		23,44,74
13. कराधान के लिए व्यवस्था		—
14. करों और सांविधिक विनियोजनों के पश्चात् हानि		15,76,56
15. तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष		15,76,56

एन. वी. रामन
सचिव

वी. सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

पीरज़ादा गुलाम नबी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितम्बर, 1983

हमारी संलग्न अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एल. खिन्दारिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स

एस. एल. खिन्दारिया
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची 'क'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983	31-3-1982
प्राधिकृत पूंजी :		
40,00,000 इक्विटी शेयर—1,000 रु. प्रति शेयर	**4,00,00,00**	4,00,00,00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूंजी		
1,000 रु. प्रति शेयर की दर से पूरे प्रदत्त 1298213 इक्विटी शेयर (इसमें से 6,29,529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त कन्सीड्रेशन में नियत कर दिए गए हैं और एक शेयर का नियतन नकदी के अलावा पार्ट कंसीड्रेशन के लिए किया गया)	**1,29,82,13**	1,02,82,13
जोड़	**1,29,82,13**	1,02,82,13

आरक्षित तथा अधिशेष

अनुसूची 'ख'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983		31-3-1982	
पूंजी आरक्षित				
1. मणिपुर सरकार से लिफ्ट सिंचाई घटक के लिए अंशदान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**3,69,22**		3,08,12	
वर्ष के दौरान संकलन	—		61,10	
घटाएं—वर्ष के दौरान समंजित	**3,69,22**	—	—	3,69,22
2. निवेश भत्ता रिज़र्व		**23,44,74**		—
जोड़		**23,44,74**		3,69,22

अनुदान

अनुसूची 'ग'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31-3-1983		31-3-1982
जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुदान				
1. कोयल कारो		**5,00**		5,00
2. दुलहस्ती		**5,00**		5,00
3. चमेरा		**2,79,19**		1,45,00
4. धालेस्वरी		**94,47**		20,00
5. धौलीगंगा		**30,00**		—
6. टनकपुर		**31,34**		—
		4,45,00		1,75,00
घटाएं-खर्चे				
क. चमेरा	**2,56,94**		1,45,00	
ख. धालेस्वरी	**92,35**		17,33	
ग. टनकपुर	**33,82**		—	
घ. धौलीगंगा	**37,52**	**4,20,63**	—	1,62,33
		24,37		12,67

अनारक्षित ऋण

अनुसूची 'घ'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31-3-1983	31-3-1982
1. भारत सरकार से ऋण		1,45,48,19	1,51,34,01
2. ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		4,39,67	—
	जोड़	1,49,87,86	1,51,34,01

स्थिर परिसम्पत्तियां

ब्यौरे	1.4.1982 को सकल ब्लॉक	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटौतियां/ बिक्री/ हस्तान्तरण
1	2	3	4
भूमि (फ्री होल्ड)	62,29	1,54,42	—
आवासीय भवन	3,60,14	98,62	—
गैर आवासीय भवन	1,83,01	14,36,91	—
सड़कें तथा पुल	6,75,94	91,87	—
संयंत्र तथा मशीनरी	12,73,71	24,73,65	73,26
बांध, टनल, चैनल और पैनस्टाक सहित हाइड्रोलिक कार्य	—	80,54,48	—
गाड़ियां व अन्य परिवहन	2,20,04	76,23	36,30
कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर	36,75	24,26	40
कार्यालय उपस्कर व अन्य उपकरण	34,72	10,62	7
ट्रांसमिशन लाइनें	91,60	5,36,91	—
गली बत्ती फिटिंग	3,53	—	3,53
संचार उपस्कर	10,29	4,58	1,37
विविध उपस्कर	53,07	20,64	52,83
अन्य परिसम्पत्तियां	14,63	78,69	7,89
	30,19,72	1,30,61,88	1,75,65
पिछले वर्ष के आंकड़े :	26,04,62	5,37,37	1,22,27

अनुसूची 'ङ'

(रुपए हजारों में)

31-3-1983 को सकल ब्लॉक	31-3-1983 को कुल ह्रास	31-3-1983 को शुद्ध ब्लॉक	31-3-1982 को शुद्ध ब्लॉक
5	6	7	8
2,16,71	—	**2,16,71**	62,29
4,58,76	**1,71,95**	**2,86,81**	2,39,49
16,19,92	**1,59,14**	**14,60,78**	1,44,81
7,67,81	**1,06,46**	**6,61,35**	6,00,17
36,74,10	**8,90,36**	**27,83,74**	7,51,31
80,54,48	**1,32,10**	**79,22,38**	—
2,59,97	**1,06,44**	**1,53,53**	1,67,82
60,61	**5,77**	**54,84**	33,59
45,27	**8,11**	**37,16**	29,12
6,28,51	**61,34**	**5,67,17**	62,35
—	—	—	2,90
13,50	**2,66**	**10,84**	9,27
20,88	**3,92**	**16,96**	3,54
85,43	**25,05**	**60,38**	12,91
1,59,05,95	**16,73,30**	**1,42,32,65**	21,19,57
30,19,72	**9,00,15**	**21,19,57**	

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची 'च'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31-3-1983		31-3-1982
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और अन्य प्रारम्भिक खर्च		49,20		80,13
भवन व सिविल इंजीनियरी कार्य		6,17,90		6,66,58
संचार		36,60		66,23
बांध, बराज, सुरंग और पावर चैनल सहित हाइड्रॉलिक कार्य		45,31,88		1,08,04,80
पेनस्टॉक		7,75,12		6,57,65
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		10,05,99		27,96,50
विद्युत संस्थापनाएं		7,75		1,17,96
सहायक कार्य		4,14,12		7,76,99
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		41,60		3,67,02
निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (संलग्न विवरणी के अनुसार)				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	57,10,67		40,49,87	
घटाएं : पूर्व अवधि समंजन	7,67,06		—	
	49,43,61		40,49,87	
जोड़ें : वर्ष के लिए बढ़ोत्तरी	16,49,71		16,60,80	
	65,93,32		57,10,67	
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	22,79,70	43,13,62	—	57,10,67
जोड़		1,17,93,78		2,20,44,53

31-3-1983 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31-3-1983		31-3-1982
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	**3,43,31**		2,65,79	
विदेश सेवा अंशदान	**8,37**		7,84	
भविष्य निधि अंशदान	**19,75**		13,91	
ग्रेच्यूटी निधि अंशदान	**21,90**		21,16	
स्टाफ कल्याण खर्चे	**25,39**	**4,18,72**	24,44	3,33,14
2. मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	**32,43**		38,24	
सड़कें और पुल	**52,00**		51,83	
मशीनरी और निर्माण उपस्कर	**1,02,86**		1,57,99	
अन्य	**19,89**	**2,07,18**	90,64	3,38,70
3. यात्रा व वाहन खर्चे		**46,28**		34,40
4. स्टाफ कार और निरीक्षण वाहनों पर खर्चे		**47,91**		42,28
5. ट्रांसपोर्ट खर्चे		**8,53**		21,25
6. किराया		**55,68**		31,64
7. आवासीय स्थान के लिए किराया		**9,81**		6,36
8. दरें व कर		**42**		45
9. बीमा		**2,52**		3,44
10. बिजली प्रभार		**6,89**		1,92
11. जल प्रभार		**30**		29
12. टेलीफोन, टैलेक्स, डाक तथा तार खर्च		**15,44**		13,58
13. विज्ञापन		**21,27**		18,24
14. डिजाइन व परामर्श		**8,70**		7,47
15. मनोरंजन खर्च		**1,15**		1,18
16. छपाई व लेखन सामग्री		**22,65**		20,35
17. प्रशिक्षण खर्चे		**99**		92

31-3-1983 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण (क्रमश:)

ब्यौरे	31-3-1983	31-3-1982
18. लेखा परीक्षा शुल्क (1981-82 के 5000 रु. सहित)	50	30
19. लेखा परीक्षा खर्चे (पूर्व अवधि से संबंधित)	1,09	46
20. सरकारी ऋणों पर ब्याज	7,06,97	13,33,95
21. बैंक प्रभार व ब्याज	69	12
22. बट्टे खाते डाली गई सामग्री/ परिसम्पत्तियों पर हानियां	2,23	4,39
23. मूल्यह्रास	1,37,12	2,06,24
24. अन्य खर्चे	37,26	65,01
	17,60,30	24,86,08
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां		
1. विद्युत ऊर्जा की बिक्री	—	5,36,43
2. रद्दी सामग्री की बिक्री	7,82	11,56
3. विद्युत प्रभार	23	3,19
4. टैंडर फार्मों का मूल्य	93	1,80
5. संयंत्र और मशीनरी का किराया खर्च	2,35	1,28
6. जल प्रभार	81	8
7. किराया	74	1,31
8. ब्याज : आवधिक जमा व बचत बैंक खाता पर	43,83	29,90
ऋणों व पेशगियों पर	1,58	1
विविध प्राप्तियां और वसूलियां	24,91	12,95
	83,20	5,98,51

31-3-1983 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण (क्रमशः)

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31-3-1983		31-3-1982
शुद्ध खर्च		**16,77,10**		18,87,57
घटाएं : (i) चल रहे पूंजी कार्यों पर आबंटित मरम्मत व रख-रखाव कार्य		–	1,99,90	
(ii) चल रहे पूंजी कार्य को हस्तान्तरित डिजाइन प्रभार	**51,43**	**51,43**	29,33	2,29,23
		16,25,67		16,58,34
जोड़ें : पूर्वावधि से सम्बद्ध शुद्ध समंजन		**1,80,52**		98,97
		18,06,19		17,57,31

नोट : 1. मनोरंजन तथा विदेश यात्रा पर खर्च जैसा कि प्रबंध वर्ग द्वारा प्रमाणित है ।

2. उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्न राशियां शामिल हैं :

i)	वेतन व भत्ते	1,34,331 रु.
ii)	भविष्य निधि के लिए अंशदान	5,396 रु.
iii)	निवास के लिए किराया	16,500 रु.
iv)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,984 रु.
v)	विदेश सेवा अंशदान	6,600 रु.
vi)	यात्रा खर्चे	1,13,832 रु.
vii)	स्थानान्तरण यात्रा खर्चे	1,746 रु.
viii)	छुट्टी यात्रा रियायत	8,273 रु.

3. उपर्युक्त के अलावा सरकारी मंजूरी के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक को 100/- रु. प्रतिमास की अदायगी पर 500 किलोमीटर तक की सरकारी यात्राओं और निजी यात्राओं की भी अनुमति दी गई । स्टाफ कार यदि असीमित प्रयोग के लिए उपलब्ध होती तो वर्ष 1982-83 के दौरान उनका प्राधिकार मूल्य 11,482/- रु. होता ।

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च के आबंटन का विवरण

(रुपए हज़ारों में)

ब्यौरे			31-3-1983			31-3-1982
बर्ष के दौरान प्रासंगिक खर्च के विवरण के अनुसार शुद्ध खर्च			18,06,19			17,57,31
निम्न को आबंटित :						
क) ट्राँसमिशन कंस्ट्रकशन यूनिट (डिपाजिट कार्य)						
1. गंगतोक-मेल्ली-कालिम्पोंग 2. गंगतोक-दिक्चू		10		42		
3. लीमातक-जिरीबाम		1,07		1,59		
4. रामनगर-गंडक		1		4		
5. सिगरौली-कानपुर		1,38	2,56	2,92		4,97
ख) एजेंसी आधार पर परियोजनाएं						
1. सलाल परियोजना		96,49		69,70		
2. देवीघाट परियोजना		21,06	1,17,55	18,50		88,20
ग) अन्वेषण परियोजनाएं						
1. चमेरा परियोजना		5,60		3,01		
2. धालेस्वरी परियोजना		4,13		0,33		
3. धौलीगंगा		2,07		—		
4. टनकपुर		66		—		
5. कोंकण		2,04		—		
6. रंगित		1	14,51	—		3,34
घ) निर्माणाधीन अपनी परियोजनाएं						
1. बैरा स्यूल परियोजना						
क) प्रत्यक्ष खर्च	2,34,24			5,41,32		
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	11,33	2,45,57		23,18	5,64,50	
2. लोकतक परियोजना						
क) प्रत्यक्ष खर्च	11,98,23			10,04,80		
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	37,19	12,35,42		23,62	10,28,42	

nhpc

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च के आबंटन का विवरण (क्रमश) :

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे			31-3-1983			31-3-1982
3. कोयल कारो परियोजना						
क) प्रत्यक्ष खर्च	**52,18**			23,41		
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	**1,48**	**53,66**		3,03	26,44	
4. दुलहस्ती परियोजना						
क) प्रत्यक्ष खर्च	**48,69**			28,30		
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	**2,05**	**50,74**		3,62	31,92	
5. चुखा ट्रां० कंस्ट्रक्शन यूनिट						
क) प्रत्यक्ष खर्च	**36,36**			4,94		
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	**27,96**	**64,32**	**16,49,71**	4,58	9,52	16,60,80
ङ) संचालनाधीन परियोजनाएं						
बैरा स्यूल परियोजना						
कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा			**21,86**			—
			18,06,19			17,57,31

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची 'छ'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे			31-3-1983		31-3-1982
1. सूचियां					
स्टोर व फालतू पुर्जे (अनुमानित लागत पर)			**8,61,82**		7,83,01
2. नकदी व बैंक शेष					
i) नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें			**26,02**		14,19
ii) **अनुसूचित बैंकों में शेष**					
बचत बैंक खाता			**21,45,95**		4,91,01
अल्प अवधि जमा			**5,50,00**		9,00,00
iii) **गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष**					
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष				
	1982-83	1981-82			
चालू खाते					
नेपाल राष्ट्र बैंक,					
काठमाण्डु	**74,33**	67,56	**29,57**		24,11
नेपाल बैंक लि०,					
त्रिसूली	**42,46**	52,83	**6,01**		42,47
3. अन्य चालू परिसम्पत्तियां					
i) जमा राशियों पर उपचित ब्याज			**20,01**		20,00
ii) कार्यशाला व सामान्य उचन्ति			**49,41**		27,77
4. विभिन्न देनदार					
i) छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण (कन्सीडर्ड गुड)		**14,96,42**		1,96,44	
ii) छः मास से कम अवधि के लिए अन्य ऋण (कन्सीडर्ड गुड)		**6,16,44**	**21,12,86**	2,31,20	4,27,64

अनुसूची 'छ' (क्रमशः)

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983	31-3-1982
5. ऋण व पेशगियां		
नकद या माल में या प्राप्त मूल्य में		
वसूली योग्य पेशगियां		
—सुरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	2,58	2,42
—असुरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	21,58,73	12,55,41
ऋण		
कर्मचारियों को (सुरक्षित)	30,92	15,34
6. कस्टम और पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण में शेष	1,97	1,97
जोड़	79,95,85	40,05,34

नोट :- 1. निदेशकों द्वारा देय पेशगियां 4068/- रु० (वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 4068/- रु०) (पिछले वर्ष —शून्य-)

2. कम्पनियों, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा 23.10 लाख की राशि पेशगी देय है। (पिछले वर्ष 32.94 लाख रु०)

चालू देयताएं व व्यवस्थाएं

अनुसूची 'ज'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983	31-3-1982
देयताएं		
1. फुटकर लेनदार	6,77,94	3,89,22
2. डिपाजिट/एजेंसी कार्यों की न खर्च की गई राशि	2,49,63	2,56,11
3. ठेकेदारों और अन्यों से प्राप्य डिपाजिट,		
रिटैन्शन राशि	86,57	79,39
अन्य देयताएं	4,98,74	2,53,92
4. भारत सरकार के ऋणों पर उपचित ब्याज		
परन्तु जो अभी देय नहीं	4,83,64	4,51,89
5. जारी किए गए चैकों के लिए देयता	14,41,48	10,05,41
जोड़	34,38,00	24,35,94

नोट : जारी किए गए चैकों के लिए देयता अनुसूचित बैंक को जारी लेकिन बैंक द्वारा जमा न किए गए चैकों को दर्शाता है।

अनुसूची 'ज' का अनुबंध-डिपाजिट कार्यों व

(रुपए हजारों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31-3-1983 तक डिपाजिट की राशि	31-3-1982 तक खर्च
1	2	3	4
क)	**डिपाजिट कार्य**		
	ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट		
	1 गंगतोक से मेल्ली-कालिम्पोंग 2. गंगतोक से दिक्चू	**4,08,65**	3,81,57
	3. लीमातक-जिरीबाम	**4,12,04**	3,55,74
	4. रामनगर-गंडक	**1,77,30**	1,57,56
	5. सिंगरौली-कानपुर	**25,12,01**	24,29,88
ख)	**एजेंसी आधार पर परियोजनाएं**		
	1. सलाल परियोजना (ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट, जम्मू सहित)	**1,63,80,24**	1,13,78,19
	2. देवीघाट परियोजना	**33,25,67**	21,02,02

एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के विवरण

वर्ष के दौरान खर्च	वर्ष के दौरान खर्च में कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	31-3-1983 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
5	6	7	8
4,82	10	**3,86,49**	22,16
53,45	1,07	**4,10,26**	1,78
42	1	**1,57,99**	19,31
68,80	1,38	**25,00,06**	11,95
48,48,11	96,49	**1,63,22,79**	57,45
10,65,61	21,06	**31,88,69**	1,36,98
			2,49,63

नोट :- ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों तथा एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद खर्च दर्शाता है और इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं है। खर्च में स्टाफ को पेशगियां, सप्लायरों, ठेकेदारों को पेशगियां, डिपाजिट तथा इस्तेमाल न हुआ स्टाक आदि शामिल है।

विविध खर्च

अनुसूची 'झ'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983	31-3-1982
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक का विविध खर्च		
1. प्रारम्भिक खर्च	**36,01**	40,01
2. आस्थगित राजस्व खर्च	**21**	24,52
जोड़	**36,22**	64,53

विविध आय

अनुसूची-1

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983
1. वाहनों और संयंत्र तथा मशीनरी का किराया प्रभार	**43**
2. अन्य विविध प्राप्तियां और वसूलियां	**2,72**
जोड़	**3,15**

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ

अनुसूची-2

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983
क) वेतन, मजदूरी व भत्ते	**55,94**
ख) भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान	**4,84**
ग) स्टाफ कल्याण खर्च	**11,74**
जोड़	**72,52**

जनरेशन व ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्च

अनुसूची-3

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1983
क) जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्च	
i) स्टोर तथा फालतू सामग्री का उपयोग	4,42
ii) मरम्मत तथा रख-रखाव	
क) भवन	7,64
ख) मशीनरी	20,78
ग) अन्य	29,73
iii) वाहन प्रभार	98,07
iv) अन्य प्रचालनात्मक खर्च	73
ख) प्रशासनिक खर्च	
v) दरें व कर	3
vi) बीमा	2,05
vii) विद्युत प्रभार	1,14
viii) यात्रा व वाहन	3,25
ix) टेलीफोन, टैलेक्स, डाक खर्चे	38
x) विज्ञापन	11
xi) मनोरंजन खर्च	9
xii) छपाई तथा लेखन सामग्री	46
xiii) अन्य विविध खर्चें	24,01
जोड़	1,92,89

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

अनुसूची 'ट'

1. छुटपुट देयताएं निम्नलिखित के संबंध में विद्यमान हैं : —

(क) कम्पनी के जिम्मे दावों के रूप में जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, 90.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष 159.21 लाख रु.) की राशि जिसमें तोरपा में अधिग्रहीत भूमि की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है।

(ख) आयकर अधिकारी ने ब्याज प्राप्तियों और अन्य विविध प्राप्तियों तथा निर्माण के दौरान वसूलियों को वर्ष 1979-80 और 1980-81 के निर्धारण में कर योग्य माना है तथा 52.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 21.99 लाख रुपए) की मांग पेश की हैं। उपर्युक्त खाते पर निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए निर्धारण कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए नोटिस भी प्राप्त हो चुका है। कारपोरेशन की इस धारणा कि उपरोक्त प्राप्तियां कर योग्य नहीं हैं, को निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) ने भी स्वीकारा है। आयकर विभाग ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध न्यायाधिकरण में एक अपील की है। निर्माण के दौरान प्राप्तियों पर आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी का विचार है कि ये कर योग्य नहीं है।

(ग) लोकतक परियोजना में बिक्री कर पंजीकरण संबंधी एक विवाद के वित्तीय संघात का पता नहीं लग सकने के कारण इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. ऐसे पूंजी लेखों जिनकी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, पर निष्पादित होने वाले ठेकों की अनुमानित राशि 680.08 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 7,656.74 लाख रुपए)। इसमें 316.55 लाख रु. की वह राशि शामिल है जो दुलहस्ती परियोजना स्थल को बटोत-किश्तवाड़ सड़क से जोड़ने वाली सड़क के सुधार के लिए परिवहन मंत्रालय को दी जानी तय हुई है। कारपोरेशन ने इस प्रयोजन के लिए पहले ही 83.46 लाख रुपए (ऋणों तथा पेशगियों के अन्तर्गत प्रदर्शित) पेशगी दे रखी है। जब तक यह पुष्टि न हो जाए कि किस सीमा तक कार्य पूरे हो गए हैं तब तक लेखों में कोई प्रावधान समंजन नहीं किया गया है। ऐजेन्सी आधार पर निष्पादित परियोजनाओं, डिपॉजिट कार्यों तथा अनुदान के तहत निष्पादित कार्यों के बारे में आकस्मिक देयता, यदि कोई है, शामिल नहीं की गई है क्योंकि किसी देयता का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

3. बोनस के लिए देयताओं के तौर पर लेखों में प्रावधान नहीं रखा गया है क्योंकि बोनस अधिनियम के अधीन बोनस की देयता उपचित नहीं हुई है।

4. बैरा स्यूल परियोजना का हस्तान्तरण मूल्य सेल डीड के अनुसार हिसाब में ले लिया गया है। इसमें इक्विटी हिस्सा पूंजी में 10.00 लाख रुपए तथा ऋणों में 6.63 लाख रुपये का अन्तर है। इसके परिणाम-स्वरूप सेल डीड और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के बीच आंकड़ों में 3.37 लाख रुपए का शुद्ध अन्तर है। मंत्रालय द्वारा स्वीकृति पत्र में आंकड़ों में संशोधन करने के लिए मंत्रालय से बातचीत चल रही है।

5. (क) बैरा स्यूल परियोजना के परियोजना लागत में बढ़ोत्तरी और 1.4.1982 से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत को ध्यान में रखते हुए परियोजना के निर्माण के दौरान ऋणों और ब्याज को पुनःतालिकाबद्ध किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के लेखा नियंत्रक ने 1729.05 लाख रु. हिस्सा पूंजी जमा में हस्तान्तरित करके और 864.56 लाख रु. चालू कार्यों के तहत निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में ब्याज दिखाकर ऋणों के प्रस्तावित पुनःतालिकाकरण को अनुमोदित कर

दिया है । ऊर्जा मंत्रालय के बजट में भी प्रावधान रखा गया है । ऋणों और निर्माण के दौरान ब्याज के पुन:तालिकाकरण के लिए उर्जा मंत्रालय के औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा है । पुन:तालिकाकृत ऋणों के आधार पर निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण किया गया है । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज पुन:तालिकाकृत ऋणों के आधार पर लेखे में लिया गया है ।

(ख) कारपोरेशन ने लोकतक परियोजना के लिए निर्माण के दौरान ऋणों और ब्याज के पुन:तालिकाकरण को अनुमोदित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया है क्योंकि अभी मंत्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन करना है इसलिए देयता का प्रावधान पहले स्वीकृत किए गए ऋणों के आधार पर किया गया है ।

6. बैरा स्यूल परियोजना से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने कारपोरेशन के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित फार्मूला के अनुसार राज्य सरकार को रॉयल्टी @ 1.5 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर ही देय है तथा तदनुसार ही रॉयल्टी का प्रावधान रखा गया है ।

7. (क) भूमि की लागत मुआवजे और अन्य प्रासंगिक खर्चों की अनन्तिम/आरम्भिक अदायगी दर्शाती है। अधिकांश मामलों में मुआवजे संबंधी अन्तिम लेखे संबंधित प्राधिकारियों से अभी प्राप्त होने हैं ।

(ख) भूमि अर्जन की लागत आदि के ब्यौरे न मिलने के कारण अधिग्रहण/अर्जन के अधीन भूमि के बारे में भूमि रजिस्टर पूरा नहीं किया जा सका है ।

(ग) भूमि का स्थामित्व अभी कारपोरेशन को नहीं दिया गया है क्योंकि कानूनी औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं ।

8. भूमि जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सड़कें, पुल और पुलियाएं बनाने पर 112.11 लाख रुपए खर्च किए गए ।

9. पूरी हो चुकी या जल्दी ही पूरी होने वाली परियोजनाओं में पड़े फालतू अप्रयुक्त सामान, यदि कोई है, की पहचान की जा रही है । फालतू सामान को अन्य परियोजनाओं, जहां आवश्यकता हो, को स्थानान्तरण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं अतः उन हानियों, यदि कोई हों, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो कि ऐसे भण्डारों के निपटान के परिणाम-स्वरूप सामने आ सकती हैं ।

10. कमियों, चोरियों और बरबादी आदि के कारण 67.98 लाख रुपऐ की हानियां हुई जो जांचाधीन हैं । जांच पूरी होने के बाद आवश्यक समंजन किए जाने के कारण होने वाली हानियों की पुष्टि होने तक लोकतक परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन के कुछ स्थानों पर ए० सी० एस० आर० एल्यूमिनियम कन्डक्टरों (पेन्थर) की चोरियों की राशि इसमें शामिल नहीं की गई है ।

11. मूल्यित भण्डार खाते पूरे नहीं हैं और न ही मिलान किए गए हैं । 861.82 लाख रुपए की लेखों में दिखाई शुद्ध शेष राशि सामान्य खाते के अनुसार है ।

12. परियोजनाओं में अधिकतर रद्दी माल के टुकड़ों का मूल्य आंक कर लेखे में डाल दिया गया है । शेष रद्दी टुकड़ों का हिसाब-किताब करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

13. पार्टियों को लेन/देन में दिखाई गई राशि, ऋण पर दी गई सामग्री और ठेकेदारों तथा निर्माताओं को दिए गए भंडार जाँच और समाधान के अधीन हैं ।

14. परियोजनाओं के हस्तान्तरण से पूर्व पात्र कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा के लिए भारत सरकार से वसूली जाने वाली उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है इसलिए उसे लेखे में नहीं लिया गया है ।

15. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत आपूर्ति के लिए करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। करार को अन्तिम रूप दिए जाने तक डेस्सू और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को की गई बिक्री का लेखा 28.15 पैसे प्रति यूनिट की दर अनन्तिम आधार पर बिक्री को लेखे में लिया गया है।

16. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर 706.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1333.95 लाख रुपए) ब्याज की राशि शामिल है।

17. कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान पहली बार लाभ व हानि लेखा तैयार किया है। वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास, अन्य एजेंसियों द्वारा परिसम्पत्तियों की लागत की हिस्सेदारी, मार्गस्थ सामान के लिए देयता का बनना और निष्पादित लेकिन बिना नया कार्य और निर्माण के दौरान आस्थगित राजस्व खर्च के विवेचन से संबंधित लेखा नीतियों को आशोधित/ परिवर्तित किया गया है। क्योंकि लाभ व हानि लेखा पहली बार तैयार किया गया है इसलिए लाभ/हानि पर उपर्युक्त संघात, यदि कोई हो, को आंका नहीं गया है। यह पहला लाभ व हानि लेखा होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े भी नहीं दिखाए गए हैं।

18. पिछले वर्ष के आंकड़े चालू वर्ष के आंकड़ों से मेल बैठाने के लिए जहां कहीं व्यवहार्य था उन्हें उचित रूप से पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।

19. कुछ मामलों में, सामग्री की प्राप्ति और खपत, देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधान संबंधी सूचना/कागजात कारपोरेशन की यूनिटों के वर्क्स तथा स्टोर्स डिविजनों से प्राप्त न होने के कारण सप्लायरों को दी गई पेशगियों के साथ उनका समायोजन और सामग्री की खपत का समायोजन नहीं किया जा सका।

20. कुछ मामलों में, स्टाफ के जिम्मे बाकी पेशगियों से संबंधित पूरा संबद्ध विवरण तैयार तथा समाधानाधीन है।

21. लोकतक परियोजना में विविध उपस्कर के अन्तर्गत दिखाए गए 18.45 लाख रुपए (पिछले वर्ष 18.45 लाख रुपए) हस्तान्तरण पूर्व से संबंधित हैं। इसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। विवरण एकत्र होने तक, मूल्य-ह्रास की व्यवस्था अनन्तिम आधार पर की गई है।

22. दुलहस्ती परियोजना में सलाल जल विद्युत परियोजना को किराया प्रभारों के लिए देय राशि का प्रावधान राशि का निर्धारण न हो सकने के कारण नहीं किया गया है।

23. दुलहस्ती और बैरा स्यूल परियोजनाओं में स्थानीय खरीद के लिए विभागीय पेशगियां तथा सप्लायरों/ठेकेदारों आदि की पेशगियां जनरल लेजर के आंकड़ों के साथ समाधानाधीन हैं। समाधान होने तक जनरल लेजर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पेशगियों की राशि दिखाई गई हैं।

24. लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं में, कारपोरेशन को परियोजनाएं हस्तान्तरित पूर्व तारीख को भारत सरकार से वसूली योग्य/को देय शेष रकमों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लेखा पद्धति के अन्तर्गत ऋण, डिपाजिट और धन पारेषणों का विश्लेषण किया जा रहा है। जहां तक पहचान पूरी हो गई है वहां तक के दावे भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। विश्लेषण के पूरा होने पर आवश्यक समयोजन किए जाएंगे।

25. चमेरा चरण-II पर खर्च की गई 3.55 लाख रुपए की राशि अनुदान में से खर्च की गई, जिसके लिए भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

26. बैरा स्यूल परियोजना में :

क) लेखा नीति (संख्या 5) के अनुसार पूंजीकरण कर दिया गया है। फिर भी, कुछ परिसम्पतियों के मामले में, जिनके ब्यौरे आंके/गिने नहीं जा सके वहां ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने तक अनुमानित आधार पर पूंजीकरण कर दिया गया है। मूल्यह्रास,

यदि कोई हो, सहित परिसम्पत्तियों का मूल्य पूरे विवरण मिल जाने पर समायोजित कर दिए जाएंगे ।

ख) पोंग डिलिवरी प्वाइंट पर वितरित 96% मात्रा के आधार पर बिजली की बिक्री के लिए वसूल किए जाने वाले उत्पाद शुल्क का हिसाब लगाया जा रहा है । फिर भी, लाभान्वित होने वाले लाभभोगी कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने उपर्युक्त फार्मूले को स्वीकार नहीं किया है ।

ग) चालू परिसम्पत्तियों और देयताओं में क्रमशः 212.04 लाख रुपए और 274.73 लाख रुपए [पिछले वर्ष क्रमशः 335.40 लाख रुपए और 278.99 लाख रुपए] की सीमा तक की ऋणात्मक शेष राशियों को कम करने के बाद ठेकेदारों को जारी किए गए भण्डार/सामग्री की आपूर्ति के लिए सप्लायरों और फुटकर लेनदारों को किए गए भुगतान में क्रमशः 118.68 लाख रुपए और 175.96 लाख रुपए की शेष राशियां शामिल थी । ऋणात्मक शेष राशियों सहित शेष राशियों की सूचियों की, प्रतिकूल शेष राशियों को ठीक करने और जनरल खाते के अनुसार शेष राशियों के साथ समाधान के लिए समीक्षा और विश्लेषण किए जा रहे हैं । सम्बद्ध कार्यों की सामग्री की निर्गम (इशू) कीमतों और अनुबंधित वसूली दरों में अन्तर का समायोजन भी प्रगति पर है ।

घ) "डिपुओं के मध्य हस्तान्तरण" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई 4.14 लाख रुपए (पिछले वर्ष 11.71 लाख रु०) की शेष राशि समाधानाधीन है और मदवार ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

ङ) "अदत्त (अनपेड) वेतन तथा मजदूरी" और पेमैंट कंट्रोल एकांउन्ट" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए गए क्रमशः 0.54 लाख रुपए और 12.19 लाख रुपए के नामे शेष आवश्यक समायोजन के लिए अभी विश्लेषणाधीन हैं ।

च) बीमा कम्पनियों को पेश किए गए दावे वसूल हो जाने पर हिसाब में लिए जाएंगे ।

27. कुछ परियोजनाओं में निर्गम (इशू) दर निर्धारण सहित सामान और फालतू सामग्री का मूल्यन समीक्षाधीन है । भण्डार में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, समीक्षा के पूरा होने पर किया जायेगा ।

28. कोयल कारो परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से 27.54 लाख रुपए की राशि की स्थिर परिसम्पत्तियां/सामान प्राप्त किया गया है । बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से बिलों की प्राप्ति होने तक परिसम्पत्तियों/भण्डार 31-3-83 के अनुमानित मूल्य के आधार पर शामिल कर लिए गए हैं । अतः चालू वर्ष के दौरान ऐसी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है ।

29. चुखा ट्रांसमिशन यूनिट में :—

क) सम्बद्ध विभागों/सप्लायरों से सत्यापित बिलों और अन्य संबंधित कागजातों की प्राप्ति होने तक काम में ली जा रही कुछ परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जिसके बदले 9.09 लाख रुपए की राशि असमायोजित पड़ी है और वह पेशगी के रूप में दिखाई गई है ।

ख) बीमा प्रभारों के लिए राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि० को वर्ष के दौरान अदा की गई 28.00 लाख रुपए की राशि बीमा दरों को अन्तिम रूप दिए जाने तक लेखों में ऋण और पेशगियों के अन्तर्गत दिखाई गई है ।

30. धालेस्वरी परियोजना में स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर और जनरल लेजर के मध्य समाधान नहीं किए गए हैं । मूल्य

ह्रास की गणना स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज ब्यौरों के आधार पर की गई है।

31. कार्यशाला और जनरल सस्पेन्स के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि शामिल है :—

क) परियोजनावार ब्यौरों के आंकलन हो जाने तक बम्बई सम्पर्क (लियाजां) कार्यालय द्वारा ट्रांसपोर्टेशन/हैंडलिंग आदि पर खर्च की गई 9.33 लाख रुपए की राशि।

ख) ब्यौरों का संग्रह तथा सत्यापन होने तक यूनिटों के मध्य हुए लेन देन की 4.63 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति/समायोजन की प्रतीक्षा की जा रही है।

32. 1981-82 के लेखे में आस्थागित (डैफर्ड) राजस्व खर्च के अन्तर्गत दिखाई गई 19.83 लाख रुपए की राशि चालू वर्ष में निर्माण लेखों के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाली गई है।

33. मणिपुर की सरकार से वसूल की गई/वसूली योग्य लोकतक परियोजना की सिंचाई अवयव की लागत की 326.74 लाख रुपए की राशि, जो पिछले वर्ष के अन्त तक आरक्षित तथा अधिशेष के अन्तर्गत दिखाई गई थी, चालू निर्माण के साथ समायोजित की गई है।

अनुसूची 'ठ'

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

ब्यौरे	1982-83	1981-82
1. कर्मचारियों पर खर्च		
उन कर्मचारियों पर खर्च, जो यदि वर्ष भर नियुक्त रहे तो उन्होंने 36,000/- रु० प्रति वर्ष से कम वेतन नहीं लिया या वर्ष के किसी अंश के लिए नियुक्त रहे तो 3000/- रु० प्रति मास से कम वेतन नहीं लिया।		
क) पूरे वर्ष भर नियुक्त रहे		
i) कर्मचारियों की संख्या	**78**	38
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	**34,75**	15,98
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपए हजारों में)	**78**	22
ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त रहे		
i) कर्मचारियों की संख्या	**8**	13
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	**1,97**	2,48
iii) परिलब्धियों का मूल्य —वही—	**3**	14

(इसमें सलाल और देवीघाट परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं। ये दोनों परियोजनाएं एजेंसी आधार पर पूरी की जा रही हैं और इन कर्मचारियों का वेतन भारत सरकार से प्राप्त डिपाजिटों में डाला जाता है न कि निर्माण के दौरान निगम के प्रासंगिक खर्च में) फिर भी, सलाल व देवीघाट परियोजनाओं की सूचना नीचे दी जा रही है :

	1982-83		1981-82	
	सलाल	**देवीघाट**	सलाल	देवीघाट
क) पूरे वर्ष नियुक्त रहे				
i) कर्मचारियों की संख्या	**8**	5	8	12
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	**3,55**	2,10	2,31	4,98
iii) परिलब्धियों का मूल्य —वही—	—	—	15	—

ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त रहे

	1982-83		1981-82	
	सलाल	देवीघाट	सलाल	देवीघाट
i) कर्मचारियों की संख्या	1	2	—	14
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	13	69	—	3,81
iii) परिलब्धियों का मूल्य —वही—	—	—	—	—

नोट : 1. उपदान की रकम हिसाब में नहीं ली गई है क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन के आधार पर बीमा निगम से ली गई उपदान तथा जीवन बीमा पालिसी के आधार पर की गई है ।

2. देवीघाट के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में विदेश भत्ता शामिल है ।

2. विदेशी मुद्रा में हुआ खर्च	1982-83	1981-82
	(रुपये हजारों में)	(रुपये हज़ारों में)
i) जानकारी	3,62	—
ii) अन्य विधि मामले	1,11	2,56

3. अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों का मूल्य	1982-83		1981-82
	(रुपये हजारों में)	%	(रुपये हजारों में)
i) आयातित	—	—	उपलब्ध नहीं ।
ii) देशी	4,42	100%	

4. आयाततित संयंत्र और मशीनरी तथा फालतू पुर्जों की लागत	42,09	—	5,89

अनुसूची 'ठ' (क्रमशः)

	1982-83	1981-82
5. लाइसेंस/संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन	**बैरा स्यूल**	**बैरा स्यूल**
I) लाइसेंस क्षमता	180 मे० वा०	लागू नहीं
ii) संस्थापित क्षमता	180 मे० वा०	3×60 मे० वा०
iii) वास्तविक उत्पादन	820.967 मिलियन यूनिट	216.18 मिलियन यूनिट आज़माइशी रन के अधीन
iv) मूल्य (रुपये हजारों में)	24,36,26 (753.84 एम० यू०)	—

नोट : 1. सभी मामलों में आयात मूल्य की गणना सी. आई. एफ. के आधार पर नहीं की गई है।

2. उपयोग में लाया गया कच्चा माल, आयात किया गया कच्चा माल, तैयार माल का आदि और अन्तिम भण्डार तथा कार्य प्रगति संबंधी सूचना शून्य है।

3. फालतू पुर्जों और उपयोग में लाए गए अवयवों का मूल्य केवल संचालनात्मक परियोजनाओं के बारे में है।

लेखा नीतियाँ

1. सेवा उपदान के निमित प्रति वर्ष उपचित देयताएँ जीवन बीमा निगम से ली गई पालिसियों को अपेक्षित किश्त का भुगतान करके पूरी की जाती हैं और भुगतान वर्ष के खाते में डाली जाती हैं।

2. आयात किए गए उपस्कर/सेवाओं के लिए अदायगी हेतु देयता का आंकलन अदायगी की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में किया जाता है।

3. कारपोरेशन को विभिन्न परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। अनुदान का शेष अन्वेषण कार्यों पर हुए खर्च की कटौती के पश्चात् चालू देयताओं तथा प्रावधानों व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दिखाया गया है। अनुदान से हुए खर्च के लिए परिसम्पत्तियों का स्वामित्व कारपोरेशन को प्राप्त नहीं करता है इसलिए इसे कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

4. निष्पादित लेकिन आंके न गए पूंजीगत कार्य को कारपोरेशन द्वारा अन्तिम रूप से निरीक्षित तथा स्वीकार्य कार्य न होने के कारण देयता, यदि कोई हो, में नहीं दिखाया गया है। इसी प्रकार मार्गस्थ सामग्री का प्रावधान, कारपोरेशन द्वारा सामग्री, निरीक्षण तथा स्वीकार्य होने तक देयता में नहीं किया गया है।

5. पूरी हो चुकी परिसम्पत्तियों को इसी तरह की परिसम्पत्तियों के निर्माण पर आए मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। फिर भी, जहां कहीं वास्तविक खर्च निर्धारित नहीं किया जा सका है वहां उसे अनुमानित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

6. राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा कारपोरेशन से संबंधित कुछ परिसम्पत्तियों की लागत के कुछ अंश में दी गई राशियाँ ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में से कम कर दी गई हैं और लेखों में शुद्ध लागत दर्शाई गई है।

7. निर्माणाधीन परियोजना में, उस भूमि को जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर परिसम्पत्तियों पर अनुदान/लागत का हिस्सा हुआ खर्च अन्तिम आबंटन हो जाने तक चालू निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखों में दिखाया गया है।

8. स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान परिसम्पत्तियों की मूल लागत के 95% को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्दिष्ट फैलाई गई अवधि से विभाजित करके सीधी रेखा विधि पर किया गया है और लागू मामलों में दोहरी और तिहरी शिफ्टों के कार्यकालों (वर्किंग) को ध्यान में रखते हुए उच्चतर साइड में अगले 2 डेसीमल तक राउण्ड कर दिया है।

9. संयंत्र तथा मशीनरी और भण्डार का अन्तर परियोजना/यूनिट स्थानान्तरण बही मूल्य (बुक वैल्यू) पर किया जाता है।

10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च की कुल राशि और परियोजना जिससे वर्ष के दौरान वाणिज्यिक संचालन आरम्भ किया गया, पर आया अप्रत्यक्ष खर्च वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पहले दिन आई/समायोजित लागत के आधार पर, भूमि को छोड़कर प्रत्यक्ष स्थिर अचल परिसम्पत्तियों में डाला गया है।

11. विभिन्न कार्यों/स्थलों पर पड़े पूंजी भण्डारों और राजस्व भण्डारों के स्टाक की लागत क्रमशः सीधे निर्माणाधीन कार्यों तथा जनरेशन ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्चों में डाल दी गई है।

12. छोटी-मोटी वस्तुओं और औजारों, जिनका कि प्रत्येक का मूल्य 100 रुपए से कम है, को उपभोग्य लेखे में डाला गया है। 100 रुपए और इससे अधिक मूल्य के अलग-अलग औजारों को प्रत्येक मामले में लागत को पूंजीकृत किया गया है और अलग-अलग औजारों के अन्तर्गत दिखाया गया है। इस प्रकार पूंजीकृत किए गए अलग-

अलग औजारों की लागत अलग-अलग औजारों के उपयोग के नामे डालकर 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते में डाली गई है ।

13. कारपोरेट कार्यालय के खर्चों, पेशगियों और परिसम्पत्तियों को छोड़कर नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है :

क) कारपोरेशन द्वारा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही वर्तमान ट्रांसमिशन लाइनों पर 2% की समान दर से प्रत्यक्ष पूंजी खर्च आया है । स्थिर प्रशासन/प्रबंध शुल्कों में लिए गए डिपाजिट कार्य पर लाभ या हानि, यदि कोई है, को ऐसे कार्य के पूरा होने और इसके लेखे को अन्तिम रूप दिए जाने पर समायोजित/लेखे में ले लिया जायेगा ।

ख) सम्बद्ध परियोजनाओं/यूनिटों को दी गई सेवाओं की मात्रा के आधार पर परियोजनाओं/यूनिटों के बारे में कारपोरेट कार्यालय में हुए अनुमानित डिज़ाइन खर्चे ।

ग) संचालनात्मक परियोजनाओं पर वहन प्रभारों और उत्पाद शुल्क को छोड़कर 1% की दर पर बिजली की बिक्री ।

घ) शेष खर्चे निर्माणाधीन परियोजनाओं, एजेंसी आधार पर परियोजनाओं को और संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान उन पर हुए शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में प्रो-रेटा आधार पर किया गया है ।

14. ऊर्जा की बिक्री के लिए बाकी अदायगियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज, यदि कोई हो, और स्टाफ आदि को दी गई पेशगियां, जैसे ही और जब भी वास्तव में प्राप्त हुई, न कि उपचित होने के आधार पर, लेखे में लिए गए हैं ।

15. चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से संबंधित हुए खर्च या प्राप्त आय यदि प्रत्येक मामले में राशि 5,000/- रुपए से अधिक है तो उन्हें पूर्व अवधि समायोजन शीर्षक के अन्तर्गत ही दिखाया गया है ।

16. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के घाटे की प्रतिपूर्ति पर आने वाली देयताएं, यदि कोई हो, जैसे ही और जब भी राशियां ट्रस्टों को अदा की जाती हैं, लेखों में डाली जाती हैं ।

17. संचालनात्मक परियोजनाओं में जहां निर्माण कार्यकलाप अभी चल रहा है, सामान्य सेवा खर्चे शुरू में प्रत्येक कार्यकलाप यानी निर्माण/संचालन द्वारा की गई/लाभ प्राप्त अनुमानित सेवाओं के आधार पर आबंटित किए गए हैं ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
के सदस्यों की सेवा में

हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के 31 मार्च, 1983 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा और जिसमें शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परियोजनाओं/यूनिटों के लेखों का किया गया लेखा परीक्षण शामिल है, का लेखा परीक्षण किया है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क), के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अनुसार पैरा 4 — 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण परिशिष्ट में संलग्न है । उपर्युक्त परिशिष्ट में अभिव्यक्त हमारी टिप्पणियों के रहते हुए हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :—

1. हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त सूचना एवं व्यवस्थाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं ।

2. हमारे मतानुसार कम्पनी ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जहाँ तक बहियों की हमारी जाँच से मालूम होता है और समुचित विवरणियां, लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त, परियोजनाओं/यूनिटों जहां हम नहीं गए, से प्राप्त हुई हैं ।

3. परियोजनाओं/यूनिटों जिनका लेखा परीक्षण हमने नहीं किया, के संबध में शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उनका ध्यान रखा है ।

4. इस रिपोर्ट से संबंधित कम्पनी का तुलन पत्र तथा लाभ व हानि लेखा बहियों तथा विवरणियों से मेल खाता है ।

5. हमारी राय व जानकारी में तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा उनके अंश व्यवस्थापक टिप्पणियों सहित कथित लेखे और जो निम्न बातों के अधीन हैं :—

मद संख्या 5 : अनुमानित मूल्यों पर पूरी की गई परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण संबंधी लेखा नीतियों का;

मद संख्या 13 : डिपाजिट कार्यों, प्रशासनिक/प्रबंध शुल्कों के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने तक लाभ या हानि के लेखों को खाते में न लिए जाने संबंधी लेखा नीतियों का;

मद संख्या 17 : आम राजस्व खर्चों के आबंटन संबंधी लेखा नीतियों का;

टिप्पणियां :

संख्या 5 (क) : ऋणों और ब्याज के पुनःतालिकाकरण और फलस्वरूप निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष स्थिर परिसम्पत्तियों को आबंटित प्रासंगिक खर्च कम होने संबंधी;

संख्या 5 (ख) : ऋणों और ब्याज के पुनःतालिकाकरण तथा ऋणों और ब्याज के बारे में देयता पर उसके प्रभाव के संबंध में;

संख्या 7 (क) : अनन्तिम/आरम्भिक अदायगियों के आधार पर भूमि की लागत के लेखाकरण संबंधी;

संख्या 7 (ख) : भूमि रजिस्टरों को पूरा न किए जाने के संबंध में;

संख्या 9,10,11 भण्डारों तथा फालतू सामग्री की तालिका के
और 27 : मूल्य पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित लेखा बहियों में समायोजन न होने के परिणाम स्वरूप :

(क) : फालतू/अप्रयोज्य भण्डार,

(ख) : चोरियों, कमियों तथा क्षतियों के कारण हानियां,

(ग) : प्राइस्ड स्टोर लेजर का समाधान न किया जाना ,

(घ) : भण्डारों और फालतू सामग्री की निर्गम दरें निर्धारित न होना;

संख्या 14 : परियोजनाओं के हस्तान्तरण से पूर्व उनके कर्मचारियों से संबंधित भारत सरकार से वसूले जाने वाले उपदान की राशियों का निर्धारण न होने के संबंध में;

संख्या 15 : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनन्तिम बेसिक दर पर बिजली की बिक्री के संबंध में;

संख्या 17 : लाभ व हानि लेखों पर मूल्यह्रास तथा अनुसूची 'च' में संलग्न निर्माणों के दौरान प्रासंगिक खर्चों के ब्यौरों संबंधी लेखा नीति में परिवर्तन के प्रभाव न बताए जाने के बारे में ;

संख्या 19 : वर्क्स तथा स्टोर्स डिवीजन से सूचना/कागजातों के अभाव के संबंध में;

संख्या 20 : स्टाफ की तरफ बाकी पेशगियों और उनके समाधान के संबंध में;

संख्या 21 : विविध उपस्कर से संबंधित ब्यौरों के उपलब्ध न होने, जिसके कारण मूल्यह्रास अनन्तिम आधार पर दिया गया है, के संबंध में;

संख्या 22 : दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना द्वारा दत्त किराया प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान न होने के संबंध में;

संख्या 23 : सहायक रिकार्डों के अनुसार आंकड़ों का जनरल लेजर में दिए गए शेषों के साथ समाधान न करने के संबंध में ;

संख्या 24 : लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं के मामले में भारत सरकार से वसूली योग्य/अदायगी राशियों के समाधान न करने के में;

संख्या 26 (क) : बैरा स्यूल परियोजना के मामले में परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण और उस पर अनुमानित आधार पर मूल्यह्रास के सम्बन्ध में;

संख्या 26 (ख) : बैरा स्यूल परियोजना से संबंधित उत्पाद शुल्क की वसूली के संबंध में;

संख्या 26 (ग) : सप्लायरों/ठेकेदारों को दी गई पेशगी के शेषों का जनरल लेजर में दिए शेषों के साथ और वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई स्थिर परिसम्पत्तियों के प्रभावों को लेखे में न लेने के परिणाम स्वरूप और ठेकेदारों/सप्लायरों को दी गई पेशगियों का समाधान न करने के संबंध में;

संख्या 26 (घ) : "डिपुओं के मध्य हस्तान्तरण" शीर्ष के अन्तर्गत राशि का समाधान न करने और उसका प्रभाव के संबंध में;

संख्या 26(ङ) : "अदत्त वेतनों तथा मजदूरियों और "पेमैंट कंट्रोल एकाउंट" शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली राशियों का समायोजन न करने और उसके प्रभावों के संबंध में ;

संख्या 28 : कोयल कारो परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से ली गई स्थिर परि-सम्पत्तियों / भण्डारों, जो आन्तरिक अनु-मानित मूल्यों पर दिखाई जा रही हैं, के संबंध में;

संख्या 29(क) : चुखा ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट में प्रयोग में लाई जा रही परिसम्पत्तियों के मूल्य का पूंजीकरण न करने के संबंध में;

संख्या 29 (ख) : बीमा किस्त भुगतान, जो चालू पूंजीगत कार्यों / निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च के अन्तर्गत न दिखाई जा रही है बीमा प्रीमियम की अदायगी के संबंध में ;

संख्या 31 : कार्यशाला और सामान्य उचंत लेखों का समायोजन न करने के संबंध में;

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन वांछित जानकारी अपेक्षित ढंग से देते हैं और निम्न का सही और स्पष्ट रूप प्रस्तुत करते हैं :

(i) 31 मार्च, 1983 को कारपोरेशन के कार्यों से संबंधित तुलन पत्र के बारे में;

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन की हानि संबंधी लाभ व हानि लेखे के बारे में;

कृते एस. एल. खिन्दारिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटैंट्स

नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितम्बर, 1983

एस. एल. खिन्दारिया
भागीदार

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के सन्दर्भ में।

(क) (i) कम्पनी ने स्थिर परिसम्पत्तियों के अधिकांश भाग के बारे में समुचित रिकार्ड रखा है। कुछ मामलों में रखे गए रिकार्डों में परिस्थितिगत ब्यौरे नहीं दर्शाए गए हैं। लोकतक परियोजना में, "विविध उपस्कर" शीर्ष के अन्तर्गत अलग-अलग वस्तुओं के ब्यौरे तुलन-पत्र के नोट संख्या 21 में दिए अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर में उपलब्ध नहीं हैं। कारपोरेट कार्यालय में वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। दूसरे स्थलों पर ये आंशिक रूप से सत्यापित की गई हैं। इनमें पायी गई विसंगतियों का समायोजन लेखों में नहीं किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।

(iii) लोकतक तथा बैरा स्यूल परियोजनाओं में भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। अन्य परियोजनाओं के मामले में, केवल आंशिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और उनमें कोई गम्भीर विसंगतियाँ नहीं पायी गई। लोकतक, बैरा स्यूल और कोयल कारो में चोरी के कारण 67.98 लाख रुपए की राशि की कमियाँ लेखे बहियों में समायोजित नहीं की गई हैं।

मूल्यित स्टोर खाते अभी समुचित रूप से नहीं रखे जा रहे हैं और भण्डारों/सामग्रियों का निर्गम/प्राप्तियाँ लेखों में ठीक से नहीं रखी गई हैं। अतः हम तुलन-पत्र में दिखाई गई तालिका के मूल्य के बारे में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370 (I-सी) के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों और पार्टियों से कम्पनी ने सुरक्षित या असुरक्षित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।

(v) कम्पनी ने पेशगी के रूप में कारपोरेशन के कर्मचारियों को ऋण दिए हैं। ऐसे ऋणों और उन पर ब्याज की वापसी साधारणतया इस प्रकार के ऋणों को जारी करने के करार के अन्तर्गत निर्दिष्ट ढंग से की जाती है। फिर भी, कुछ मामलों में अदायगियाँ निर्दिष्टानुसार नहीं की गई हैं।

(vi) कम्पनी के आकार के समपरिमाण एक आन्तरिक-नियंत्रक-प्रक्रिया यहाँ विद्यमान है और जिसका कार्य स्टोरों, अवयवों सहित कच्चे माल, संयंत्र और मशीनरी उपस्कर तथा अन्य परिसम्पत्तियों की खरीद करना है। हमारी राय में इन प्रक्रियाओं को अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए ताकि इन खरीदों पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस वर्ष 10,000/- रुपए मूल्य से अधिक के प्रत्येक प्रकार के स्टोरों और स्पेयर पुर्जों या अवयवों की खरीद ऐसी फर्मों या कम्पनियों अथवा अन्य पार्टियों से नहीं की गई है जिनमें निदेशकों की रुचि हो।

(viii) लोकतक परियोजना में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों का आंशिक अभिनिर्धारण किया गया है। इन भण्डारों के बारे में लेखे में प्रावधान नहीं किया गया है। अन्य परियोजनाओं में, ऐसे भण्डारों के निर्धारण या पहचान के लिए समुचित प्रक्रिया नहीं है।

(ix) कारपोरेशन ने जनता से कोई भी राशि जमा (डिपाजिट) स्वीकार नहीं की है।

(x) जैसा कि हमें बताया गया कि बैरा स्यूल परियोजना में विद्युत उत्पादन के दौरान कोई भी उपोत्पादन या स्क्रैप जनित नहीं हुआ। फिर भी, हमारे विचार से लोकतक परियोजना के अतिरिक्त निर्माण-प्रक्रम के दौरान जनित स्क्रैप का युक्तिसंगत रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(xi) कारपोरेशन में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति प्रचलित है। फिर भी, हमारे विचार से, कारपोरेशन के आकार के अनुरूप तथा इसके कार्यों के समपरिमाण में आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभाग का विस्तार नहीं हुआ है। आन्तरिक लेखा

परीक्षा रिपोर्टों पर जल्दी से अनुवर्ती कार्रवाई करने की जरूरत है।

(xii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्डों का रखरखाव नहीं किया गया है।

(xiii) कुछ मामलों में, वर्ष के दौरान भविष्य निधि देयताएं, निर्दिष्ट समय के अन्दर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई हैं।

(ख) एजेन्सी कार्य के सम्बन्ध में :—

(i) भण्डारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग की रिकार्डिंग की एक पर्याप्त पद्धति विद्यमान है। ऐसी पद्धति सम्बद्ध कार्यों में उपयोग में ली गई सामग्रियों और मानव-घण्टों के युक्तिसंगत आबंटन की व्यवस्था करती है।

(ii) कार्यों के लिए भण्डार जारी करने और भण्डारों के आबंटन पर श्रमिक सम्बन्धी अपेक्षित नियन्त्रण सहित उचित स्तरों पर प्राधिकरण की एक समुचित पद्धति मौजूद है और कम्पनी के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप एक पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति उपलब्ध है।

कृते एस.एल. खिन्दारिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितम्बर, 1983

एस० एल० खिन्दारिया
भागीदार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणयां

मुझे यह कहना है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के 31 मार्च, 1983 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर मुझे कोई टिप्पणी या अनुपूरक नहीं देना है।

हस्ता/-
एन० श्रीवास्तव
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
एवं पदेन निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा

भोपाल
27 सितम्बर, 1983